रांची और हजारीबाग में सार्वजनिक स्थानों पर महिला विरोधी हिंसा का अध्ययन, झारखंड

सारांश

2016

SAFETIPIN
Supporting Safer Communities

जागोरी JAGORI 30 years 1984-2014

OAK FOUNDATION

new concept
creativity & collective work transforms

यह संयुक्त अध्ययन ओक फ़ाउंडेशन के सहयोग से जागोरी, न्यु कॉन्सेप्ट इन्फ़ॉरमेशन सिस्टम्स व सेफ़्टी पिन द्धारा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एण्ड डेवलेपमेंट पॉलिसी (आईटीडीपी), सृजन फाउंडेशन, प्रेरणा भारती, एकल नारी सशक्ति संगठन (ईएनएसएस), महिला मुक्ति संस्थान, प्रदान, ब्रेकथ्रू, महिला सामाख्या, महिला अदालत की प्रतिनिधि, घरेलू कामगारों व महिला यौन कर्मी समूह की सहभागिता से किया गया है।

प्रकाशक

जागोरी

अप्रैल 2016

सीमित वितरण के लिए

fo"k; lph

vkHkkj

भाग 1 : भूमिका	1
भाग 2 : मुख्य नतीजे : पारिवारिक सर्वेक्षण	6
भाग 3 : मुख्य नतीजे : विषय केंद्रित सामूहिक चर्चाए (फोकस ग्रुप डिस्कशन्स)	15
भाग 4 : मुख्य सूचनादाताओं के साक्षात्कार	24
भाग 5 : मुख्य नतीजे : सेफ्टी ऑडिट	25
भाग 6 : मुख्य निष्कर्ष	34
भाग 7 : सिफारिशें	37
संलग्नक	41

vkHkkj

इस परियोजना में विभिन्न प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हम इन साथियों और साझीदारों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हैं :

– ओक फाउंडेशन एवं पॉरोमिता चौधरी (प्रोग्राम ऑफिसर) का धन्यवाद जिन्होंने महत्वपूर्ण सहायता दी।

– जागोरी टीम : सुनीता धर (दिसंबर 2015 तक निदेशक तथा परियोजना की संयोजक); गीता नाम्बिसन (सहनिदेशक, तथा जनवरी 2016 से निदेशक); डॉ. कल्पना विश्वनाथ (सलाहकार, शोध); प्रभलीन टुटेजा (सितंबर 2015 तक परियोजना संयोजक); डस्टिन स्मिथ (एआईएफ फैलो; शोध सहयोग एवं दस्तावेजीकरण); कृति शर्मा, मधु बाला, प्रवीणा आनंद एवं सरिता बलोनी (डेटा संग्रह); अनुप्रिया घोष (कंसल्टेंट) तथा महावीर सिहं (डिज़ाइन और लेआउट)।

– डॉ. प्रीत रुस्तगी और डॉ. रेणु अदलखा (शोध सलाहकार समिति के सदस्य)।

शोध साझीदार : न्यू कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (पारिवारिक सर्वेक्षण) तथा सेफ्टीपिन (डिजिटल डेटा संग्रह)।

शोध की प्रक्रिया में योगदान देने वाले संगठन : इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एण्ड डेवलेपमेंट पॉलिसी (आईटीडीपी), सृजन फाउंडेशन, प्रेरणा भारती, एकल नारी सशक्ति संगठन (ईएनएसएस), महिला मुक्ति संस्थान, प्रदान, ब्रेकथ्रू, महिला सामाख्या, महिला अदालत की प्रतिनिधि, घरेलू कामगारों व महिला यौन कर्मी समूह।

मुख्य लोग जिनके साक्षात्कार लिए गए : आरती बेहरा, अपराजिता, बेलमदना पूर्ति, डॉ. बिन्नी आजाद, दीपिका प्रसाद, दिनेश सोनी, गुड़िया, किशोर के मंत्री, महुआ माझी, राजश्री, रोज़ेलिया, स्मिता गुप्ता, संजय श्रीवास्तव एवं विद्यावती।

अमृता नंदी जिन्होंने डॉ. कल्पना विश्वनाथ एवं सुनीता धर के सुझावों का समावेश करते हुए यह रिपोर्ट लिखी।

17 फरवरी 2016 को रांची में आयोजित एक मंत्रणा में इस शोध के नतीजों को अध्ययन में प्रवृत्त और अन्य सुरक्षित शहरों में सक्रिय साझीदारों के समूहों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंत्रणा के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। (अधिक जानकारी के लिए सलंग्नक देखें)।

जागोरी

20 फरवरी 2016

Hkkx 1

Hkfedk

>kj[kM] lnHk

यह शोध देश के सबसे नए राज्यों में से एक झारखंड में किया गया है। यह एक विकासशील राज्य है। इसकी आबादी 3.3 करोड़[1] है और राज्य में कुल 24 जिले हैं। राज्य की आबादी में 28 प्रतिशत हिस्सा जनजातियों का और 12 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों का है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से ही झारखंड में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास संकेतकों के मद में उल्लेखनीय प्रगति हुई है मगर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, खासतौर से सामाजिक विकास के स्तर पर। उदाहरण के लिए, राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर केवल 948 महिलाएं है (2011 की जनगणना)। यद्यपि राज्य की साक्षरता दर बढ़कर 67.63 प्रतिशत हो गई है मगर महिलाओं की साक्षरता दर (56.21 प्रतिशत) पुरुषों की साक्षरता दर (78.45 प्रतिशत) से अभी भी बहुत पीछे है। 2007–2008 में झारखंड का मानव विकास सूचकांक 0.376 था (जबकि राष्ट्रीय सूचकांक 0.467 है)[2] और 2006 में उसका जेंडर विकास सूचकांक 0.558 (राष्ट्रीय सूचकांक 0.590) था।

राज्य की 10 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी को शहरी आबादी का दर्जा दिया गया है। इस आधार पर यह भारत के सबसे ग्रामीण चरित्र वाले राज्यों में से एक है।[3] रांची और जमशेदपुर इसके दो प्रमुख शहर हैं जबकि धनबाद–झरिया–सिंदरी और बोकारो–चास इसके मुख्य शहरी क्लस्टर हैं। झारखंड अपने विपुल खनिज भंडारों के लिए विख्यात है और फलस्वरूप यहां एक अच्छी–खासी औद्योगिक पट्टी भी मौजूद है। इसी कारण, बीते सालों के दौरान यहां बड़ी संख्या में प्रवासी आकर बसे हैं जो बेहतर संभावनाओं की तलाश में झारखंड आए हैं। उनकी मौजूदगी से न केवल शहरों और कस्बों के विकास को बढ़ावा मिला है बल्कि राज्य का जनसांख्यिकीय स्वरूप भी बदल गया है। तेजी से बदलते स्थान पर जो तमाम प्रशासनिक चिंताएं और सामाजिक–सांस्कृतिक उथल–पुथल पैदा होती है, उसके चलते महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों, ख़ासतौर से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली यौन हिंसा में इजाफ़ा एक मुख्य घटनाक्रम है।

efgykvk vkj yMfd;k d fo#) fgalk % dN vkdM

राष्ट्रीय अपराध रिकॉड्र्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, 2001 से 2013 के बीच महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर में बहुत तीव्र बढ़ोतरी (211.71 प्रतिशत) हुई है। राज्य की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला जिला होने के नाते रांची में महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। झारखंड पुलिस द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार[4], रांची से सटे अन्य जिलों – हजारीबाग, गुमला और खुंटी – में भी दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के साथ–साथ 'डायनों' को मारने की घटनाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में दर्ज की गई हैं।

1. जनगणना 2011; http://www.census2011.co.in/census/state/jharkhand.html.

2. स्रोत : http://www.undp.org/content/dam/india/docs/jharkhand_factsheet.pdf (इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011, आईएएमआर तथा योजना आयोग); जेंडरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज़ : जेंडरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज़ : रीकास्टिंग दि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ऐण्ड जेंडर एम्पावरमेंट मेज़र्स फॉर इंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। http:// undp.org. in/ sites/default/files/GDI_and_GEM_Report.pdf

3. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका : URL: http://www.britannica.com/place/Jharkhand

4. झारखंड पुलिस : URL: http://jhpolice.gov.in/

नीचे दी गई तालिका से झारखंड में महिला विरोधी हिंसा में इजाफ़े का अंदाजा लगाया जा सकता है।

झारखंड में महिला विरोधी अपराधों की पिछले तीन सालों की स्थिति (2012 से 2014)

अपराध	2012	2013	2014
बलात्कार	812	1204	1050
अपहरण और अगवा करना	786	926	885
दहेज हत्याएं	302	307	350
पति अथवा उसके संबधियों द्वारा क्रूरता	1261	2084	1462
शील भंग के उद्देश्य से महिलाओं पर हमले	284	524	440
महिलाओं के सम्मान को क्षति	10	18	18
विदेशों से लड़कियों का आयात	3	2	2
अनैतिक व्यापार अधिनियम	12	11	11
महिला अश्लील निरूपण अधिनियम	0	2	2
दहेज निषेध कानून	1066	1428	1538
कुल	4536	6506	*5758

स्रोतः एनसीआरबी

*जब अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अपराधों को भी शामिल किया जाता है तो यह संख्या बढ़कर 5,972 हो जाती है।

गौर करने की बात यह है कि इस तालिका में 2013 के मुकाबले 2014 में अपराधों की रिपोर्टिंग कम दिखायी देती है। यहां हमें इस बात पर गौर करना होगा कि 2013 और 2014 के बीच महिलाओं के ख़िलाफ़ हुए हमलों में गिरावट दिखायी देती है मगर अपमानपूर्ण व्यवहार के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि यौन उत्पीड़न/हिंसा के संबंध में क़ानून में जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में महिलाओं के पास जानकारियों का अभाव है।

ये आंकड़े झारखंड में महिलाओं के विरुद्ध हुई हिंसा के बारे में काफी कुछ बताते हैं मगर वे पूरी तस्वीर को सामने नहीं लाते। ये आंकड़े उन अनकहे और अनजाने अपराधों या ऐसी असंख्य घटनाओं पर भी प्रकाश नहीं डालते जो कभी पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं की जाती हैं या जिनका प्रियजनों और परिवार के सदस्यों तक से जिक्र नहीं हो पाता है। इससे समाज में हिंसा व चुप्पी की संस्कृति और महिलाओं के जीवन पर अपराध के निजी व सामाजिक निहितार्थों का पता चलता है।

fgalk dk lkFk le>kSrk dj yuk] ng'kr esa thuk

हिंसा के अलावा हमें हिंसा की आशंका और उससे महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी गौर करना चाहिए। यह बात सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली यौन हिंसा के मामले में ख़ासतौर से प्रासंगिक हो जाती है। जब लगातार इस बात का डर रहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको घूर रहा है या आपको तंग करता है तो औरतों की आवाजाही सीमित होने लगती है, उनकी स्वायत्तता का हनन होता है और शहरी और अर्धशहरी स्थानों पर उपलब्ध सेवाओं व अवसरों तक उनकी पहुंच सीमित होने लगती है। इससे उनमें जो भय और आशंका पैदा होती है वह महिलाओं को अक्सर बहुत सारे सार्वजनिक स्थानों से लगभग पूरी तरह बेदखल कर देती है। महिलाएं बहुत सारी सड़कों, पार्कों, बाज़ारों आदि से खुद को दूर रखने लगती हैं ताकि वे केवल 'सुरिक्षत समय' पर 'सुरक्षित स्थानों' पर ही दिखायी दें। सार्वजनिक स्थान सभी के लिए सुरक्षित और सभी की पहुंच के भीतर हों, यह मान्यता महिलाओं की गतिशीलता, सुरक्षा और समावेशन के अधिकार की कसौटी है। यह बात ऐसे प्रवासियों के लिए ख़ासतौर से सच है जो बेहतर शिक्षा और रोज़गारों की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे

हैं। यौन उत्पीड़न/हिंसा की समस्या पहचान और उसके सामाजिक आयामों (वर्ग, प्रवासन, स्थान, आयु, विकलांगता, समुदाय आदि) से भी जुड़ी होती है जो कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की पहुंच को और ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जवाबी हमले या प्रतिक्रिया का डर संरचनात्मक हिंसा का हिस्सा है, एक ऐसी चक्रीय परिघटना जो और ज़्यादा यौन उत्पीड़न/हिंसा को जन्म देती है।

fLFkfr dk lckfèkr djuk

इस स्थिति को देखते हुए झारखंड की सरकारी संस्थाओं ने महिला विरोधी हिंसा की रोकथाम के लिए महिला थानों के गठन, महिला कोशांग, शक्ति मोबाइल पेट्रोल सर्विस और चुनिंदा इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना जैसे कई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही नगर समाज संगठनों ने भी मूलभूत सेवाओं तक पहुंच, मानवाधिकारों, तथा महिला विरोधी हिंसा जैसे बहुत सारे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के अभियान शुरू किए हैं।

ये सभी उपाय काफ़ी जरूरी हैं और लिहाज़ा स्वागत योग्य हैं। फिर भी, कई ऐसे अहम तत्व हैं जो नज़रअंदाज हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे स्थान अकसर छूट जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की अधीनता और उत्पीड़न को वैधता प्रदान करते हैं। इनमें समाज की पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक–आर्थिक असमानताएं, सामुदायिक विचारधाराएं और सत्ता की अन्य संरचनाएं प्रमुख हैं जो एक–दूसरे से गुंथी होती हैं। इन सभी कारकों को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा व स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाने वाले इन तमाम पेचीदा पहलुओं की एक ज़्यादा गहरी समझदारी विकसित करें, ख़ासतौर से उन इलाकों में जहां महिला विरोधी यौन अपराधों में लगातार इज़ाफा हो रहा है। महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम के किसी भी प्रयास को महिलाओं के सुरक्षा के अधिकार, उनकी राजनीतिक मुखरता और गतिशीलता के अधिकार तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में हिंसा से मुक्ति के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए।

हालात पर समग्र प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे अहम ज़रूरत यह है कि हम इस परिघटना के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान व जानकारियां इकट्ठा करें। इसके लिए हमें सुरक्षा के बारे में लोगों के रवैये और सोच को खुद उनके स्वर में भी दर्ज करना चाहिए। इस डेटा के आधार पर हम नगर नियोजन, शहरी रूपरेखा व बुनियादी ढांचे पर पुनर्विचार कर सकते हैं, सेवाओं के लिए जवाबदेही तय कर सकते हैं, पुलिस व्यवस्था और यहां तक कि सार्वजनिक सहभागिता की भी पड़ताल कर सकते हैं। महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय व नीतियां तैयार करने के लिए ऐसा व्यापक और ठोस शोध एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

'kkèk vkj mld mí';

उपरोक्त विचारों व विजन के आधार पर यह शोध अध्ययन रांची और हजारीबाग में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रही हिंसा और उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों के बारे में साक्ष्य जुटाने की एक छोटी सी चेष्टा है। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- महिलाओं व लड़कियों की गतिशीलता के रुझानों और उनकी गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाले कारकों को समझना;
- सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के बारे में प्रचलित सोच को समझना;
- उन कारकों को पहचानना जो सुरक्षा के भाव या उसके अभाव को और पुष्ट करते हैं;
- उन कारकों को पहचानना जो सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के अभाव को बढ़ा देते हैं, ख़ासतौर से शहरी डिज़ाइन, नियोजन और बुनियादी ढांचे में कमियों के फलस्वरूप पैदा होने वाले कारक;
- उत्पीड़न व हिंसा की उन ख़ास क़िस्मों को पहचानना जिनको सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं और लड़कियां सबसे ज़्यादा झेलती हैं, इस तरह के उत्पीड़न व हिंसा के स्वरूप (यानि, हमलावर, स्थान

और समय आदि) और इसके जवाब में महिलाओं, लड़कियों और पुरुषों द्वारा यौन हिंसा व उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को दर्ज करना;

- यह समझना कि हाशियाई समुदायों की महिलाएं जिस तरह की हिंसा का सामना करती हैं, उसके स्तर और रूपों में क्या फ़र्क़ है; तथा
- सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध यौन हिंसा की रोकथाम के लिए उपलब्ध सहायता एवं संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करना और उन तक महिलाओं की पहुंच का आंकलन करना।

'kkèk i)fr

ikfjokfjd lo{k.k

2015 के दौरान जागोरी ने न्यू कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स तथा सेफ्टीपिन के साथ मिलकर रांची और हजारीबाग में एक शोध किया था। इस शोध के लिए ओक फाउंडेशन और उसके साझीदारों की ओर से सहायता दी गई थी।

इस गुणात्मक एवं मात्रात्मक अध्ययन के चार मुख्य तत्व थे : पारिवारिक सर्वेक्षण, विषय–केंद्रित सामूहिक चर्चाएं (एफडीजी), मुख्य सूचना दाताओं के साक्षात्कार और सेफ्टी ऑडिट। जैसा कि आगे के अध्यायों में पता चलेगा, इन सभी स्रोतों से ख़ास तरह की जानकारियां सामने आयीं। इसके लिए लोगों का चयन बेतरतीब ढंग से और/या कुछ निश्चित कसौटियों के आधार पर किया गया था। कुल मिलाकर इनसे हमें एक ऐसी समग्र तस्वीर मिली है जो संख्याओं पर आधारित तस्वीर की कमियों को पूरा करती है। इससे हमें उत्तरदाताओं की सोच, मतों और रवैयों को समझने में भी मदद मिली। ये उपकरण ज़्यादा व्यापक और विविध विषयों को भी संबोधित करते हैं। इस्तेमाल किए गए उपकरण के आधार पर डेटा संग्रह के लिए अनियोजित या अर्धनियोजित पद्धतियों का भी प्रयोग किया गया।

ueu bdëk dju dh i)fr

प्रत्येक शहर में प्राथमिक उत्तरदाताओं की उम्र 18 से 45 साल के बीच थी। उत्तरदाताओं में 80 प्रतिशत महिलाएं और 20 प्रतिशत पुरुष थे। दोनों शहरों में सर्वेक्षण के लिए बस्तियों/वॉड्र्स का चुनाव इस तरह किया गया ताकि सर्वेक्षण में अलग–अलग पृष्ठभूमि की महिलाओं – गृहणियों, विभिन्न प्रकार के वेतनभोगी रोजगारों में लगी महिलाओं और छात्राओं – को प्रतिनिधित्व मिले। दोनों शहरों की शहरी और अर्धशहरी बस्तियों में इस शोध के लिए 1,000 उत्तरदाताओं (रांची से 600 और हजारीबाग से 400) से बात की गई। प्रतिनिधित्व में यह फ़र्क़ दोनों शहरों की जनसंख्या में फ़र्क़ पर आधारित है। 2011 की नवीनतम राष्ट्रीय जनगणना के समय रांची की आबादी 29,14,253 थी जबकि हजारीबाग की आबादी 17,34,495 थी। ख़ासतौर से रांची एक तेजी से फैलता शहर है जहां आजीविका के अवसर और शैक्षिक संभावनाएं राज्य के बाकी शहरों से ज़्यादा बेहतर हैं। इसके अलावा हजारीबाग, गुमला और खुंटी जैसे पड़ोसी जिलों से नियमित रूप से आने–जाने वाली आबादी भी रांची आती है।

नमूने इकट्ठा करने के उद्देश्य से अध्ययन में एक नगरपालिका वॉर्ड को प्राथमिक नमूना इकाई माना गया। वॉर्डों का अंतिम चयन जनगणना के आंकड़ों, नगरपालिका के स्तर पर इकट्ठा की गई सूचनाओं और स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ चर्चाओं के आधार पर किया गया। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, रांची में 55 और हजारीबाग में 32 नगरपालिका वॉर्ड हैं। नमूने (रांची में 600 और हजारीबाग में 400) को इन वॉर्डों में समान रूप से बांटने के लिए रांची से 12 और हजारीबाग से 8 वॉर्डों को चुना गया। इस अध्ययन में दो चरणों वाली नमूना संकलन प्रक्रिया अपनायी गई : पहली प्रक्रिया में अर्धउद्देश्यपूर्ण ढंग से वॉर्डों का चयन किया गया और दूसरी अवस्था में प्रत्येक चुने गए वॉर्ड से उत्तरदाताओं का चयन किया गया। इसके अलावा जागोरी और महिला सामाख्या सहित कई प्रमुख संस्थाओं की मदद से शोध टीम के लिए जेंडर तथा महिला विरोधी हिंसा के खात्मे जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

'kks/k ijke'k lfefr vkj vkpkj lfgrk

अध्ययन प्रक्रिया एक शोध सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में चलायी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि इसमें शोध आचार संहिता का पूरी तरह से पालन किया जाए। शोध आचार संहिता के पालन करने का मतलब है संबंधित पक्षों की सहमति, संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, गोपनीयता और बेनाम विवरण जैसे सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाएगा। पारिवारिक सर्वेक्षण न्यू कॉन्सेप्ट द्वारा किया गया और शेष डेटा जागोरी द्वारा इकट्ठा किया गया। उम्मीद यह थी कि इस शोध के नतीजे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य का काम करेंगे और उन रणनीतियों, नीतियों व सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का रास्ता खोलेंगे जो झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा की रोकथाम के लिए लागू की जा रही हैं।

efgyk lj{kk % ,d ifjHkk"kk

महिला सुरक्षा की अवधारणा में ऐसी रणनीतियां, व्यवहार और नीतियां शामिल हैं जो जेंडर आधारित हिंसा (या महिला विरोधी हिंसा) पर अंकुश लगाने के लिए चलायी जाती हैं जिनमें महिलाओं के भीतर अपराध के भय पर अंकुश लगाना भी शामिल है।

महिला सुरक्षा का मतलब है सुरक्षित परिधियों की रचना करना। परिधियां या जगहें तटस्थ नहीं होती। जो जगहें महिलाओं में भय पैदा करती हैं वे उनकी गतिशीलता को अवरुद्ध करने लगती हैं और फलस्वरूप समुदाय उस जगह का इस्तेमाल कम करने लगता है। गतिशीलता और सुगमता का अभाव एक तरह की सामाजिक बेदखली है। इसके उलट, कोई जगह लोगों में सुरक्षा और आराम का भाव भी पैदा कर सकती है और फलस्वरूप हिंसा को हतोत्साहित कर सकती है। लिहाजा, सुरक्षा संबंधी नियोजन व नीतियों के निर्धारण में महिलाओं को हमेशा शामिल किया जाना चाहिए और महिलाओं को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।[5]

महिला सुरक्षा के लिए गरीबी से आज़ादी भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि उन्हें पानी के साधनों तक सुरक्षित पहुंच मिले, अनौपचारिक बस्तियों में उनके लिए सामुदायिक शौचालयों की सुविधाएं मिलें, उन्हें जेंडर संवेदी सड़कें और शहरों के नक्शे मिलें, उन्हें सुरक्षित कार पार्किंग, शॉपिंग सेंटर और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मुहैया करायी जाए।[6]

महिला सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा और स्वायत्तता भी शामिल है। पारिवारिक आय का स्तर मारपीट की रोकथाम में एक अहम भूमिका अदा करता है। जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करना उत्पीड़न भरे संबंध से निपटने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। इसी तरह, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से हिंसा की स्थितियों में उनको सुरक्षा भी मिलती है क्योंकि वे पुरुषों पर कम निर्भर रह जाती हैं और लिहाजा अपने फैसले खुद ले सकती हैं।

महिला सुरक्षा का मतलब है स्वबोध। सुरक्षित घरों और समुदायों में महिलाओं को इस बात का अधिकार मिलता है कि वे अपना महत्व समझें, उनको सशक्तिकरण के साधन मिलें, उनको सम्मान मिले, वे स्वतंत्र हों, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए, उन्हें प्यार मिले, परिवार व समुदायों के लोगों के साथ उनको एकजुटता का अहसास मिले और उन्हें समाज में समान सदस्यों के रूप में मान्यता मिले।[7]

महिला सुरक्षा के लिए जरूरी है कि ऐसी रणनीतियां व नीतियां बनायी जाएं जो हिंसा के बाद मदद देने की बजाय हिंसा होने से पहले ही उस पर अंकुश लगा सकें। ऐसा तभी हो सकता है जब घरेलू या यौन हिंसा के स्रोतों के बारे में उपलब्ध ज्ञान और रवैये में सुधार लाया जाए। उदाहरण के लिए, हिंसा को वैधता देने वाले सामाजिक तौर–तरीकों, पुरुषों की श्रेष्ठता और पुरुषों के यौन विशेषाधिकार की धारणा आदि के बारे में एक ज्यादा सकारात्मक समझ विकसित की जाए। इसके अलावा, सामुदायिक जीवन, स्थानीय संगठनों और स्थानीय अभिशासन निकायों में उनकी साझेदारी को बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं व लड़कियों की अधिकाधिक सहभागिता हो। इसके साथ ही दीर्घकालिक, सुनियोजित और समग्र प्रयास किए जाएं ताकि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, उनको निशाना बनाए जाने की आशंका खत्म हो और दूसरों की उदासीनता से संबंधित जोखिम और सुरक्षात्मक संभावनाओं को पुष्ट किया जा सके।[8]

महिला सुरक्षा का मतलब है सभी के लिए सुरक्षित, स्वस्थ समुदायों की रचना करना। यह सामुदायिक कायदे–कानूनों को बदलने की एक सहभागी प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूप, मूल्य–मान्यताओं, रीति–रिवाजों और संस्थाओं को इस प्रकार बदल सकती है कि समुदाय के सभी सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए।[9] पारिवारिक संबंधों, गरीबी, नस्लवाद और/या यौन हिंसा पर अंकुश जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए उठाए गए सकारात्मक कदमों का यह स्वाभाविक परिणाम होता है। एक सुरक्षित समुदाय की रचना करना सभी का दायित्व है।[10]

(स्रोत : यूएन–हेबीटेट, विकी एवं अन्य, 2008 : 10)

5. एना बोफिल लेवी, रोज़ा मारिया डुमेन्खो मारटी एवं इज़ाबेल सेगुरा सोरियानो, "वीमेन ऐण्ड दि सिटी", मैन्युअल ऑफ रेकमेन्डेशन्स फॉर ए कॉन्सेप्शन ऑफ इनहेबिटेड एनवायरर्नमेंट फ्रॉम दि प्वाइंट ऑफ व्यू ऑफ जेंडर, फाउंडेषन मारी ओरेलिया कंपनी।
6. अलीसिया योन, "सेफर सिटीज़ फॉर वीमेन आर सेफर फॉर एवरीवन," हेबिटेट डिबेट, यूएन–हेबिटेट (सितंबर 2007,खंड 13,रु3), 9.
7. मेरी एल्सबर्ग एंव लॉरी हीस, "रीसर्चिंग वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन : ए प्रेक्टिकल गाइड फॉर रीसर्चर्स ऐण्ड एक्टिविस्ट्स," वर्ल्ड हेल्थ ऑरग्नाइजेषन ऐण्ड प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रियेट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, 2005
8. मॉर्गन जे कर्टीस, "एन्गेजिंग कम्युनिटीज इन सेक्सुअल वायलेंस प्रिवेन्शन; ए गाइडबुक फॉर इंडिविजुअल्स ऐण्ड ऑरगेनाइजेशन्स एन्गेजिंग इन कॉलेबोरेटिव प्रिवेन्शन वर्क," टेक्सास ऐसोसिएशन अगेन्स्ट सेक्सुअल असॉल्ट।
9. डेविड एस ली, लीडिया गाई, ब्रेड पैरी, चाड कियोनी स्निफेन एवं स्टेसी अलामो मिक्सन, "सेक्सुअल वायलेंस प्रिवेन्शन," दि प्रिवेन्शन रिसर्चर, खंड 14 (2), अप्रैल 2007.
10. मॉर्गन जे कर्टीस, "एन्गेजिंग कम्युनिटीज इन सेक्सुअल वायलेंस प्रिवेन्शन; ए गाइडबुक फॉर इंडिविजुअल्स ऐण्ड ऑरगेनाइजेशन्स एन्गेजिंग इन कॉलेबोरेटिव प्रिवेन्शन वर्क," टेक्सास एसोसिएशन अगेन्स्ट सेक्सुअल असॉल्ट।

e[; urht % ikfjokfjd lo{k.k

पारिवारिक सर्वेक्षण तकनीक कुछ ख़ास मुद्दों पर शोध के लिए काफ़ी अनुकूल पायी गई है। उदाहरण के लिए, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध यौन हिंसा तथा सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक व्यापक सामाजिक छानबीन की जरूरत होती है और इसके लिए पारिवारिक सर्वेक्षण तकनीक काफ़ी लाभदायक होती है। व्यवस्थित मगर कुछ हद तक बेतरतीब ढंग से चुने गए सहभागियों की प्रतिक्रियाएं पारिवारिक सर्वेक्षण का आधार होती हैं। इस शोध के लिए अप्रैल 2015 में पारिवारिक सर्वेक्षण किया गया। इसके माध्यम से रांची और हजारीबाग के बहुत सारे परिवारों के मात्रात्मक आंकड़े इकट्ठा किए गए ताकि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों और उनकी सुरक्षा, उसके संदर्भ, अनित्य व्यवहार, सामाजिक पदचिह्नों और अनुभवों के बारे में उपलब्ध जानकारियों को और पुख्ता किया जाए व बढ़ाया जाए।

mÙkjnkrkvksa dk lf{kIr fooj.k

शोध की रूपरेखा तय करते हुए इस बात का ख्याल रखा गया कि विभिन्न आयु समूहों, अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों, व्यवसायों और धर्मों के लोगों का समावेश किया जाए। पारिवारिक सर्वेक्षण में चुने गए उत्तरदाताओं (जिनमें महिलाएं और पुरुष, दोनों शामिल हैं) को मोटे तौर पर तीन आयु समूहों में रखा जा सकता है : 18 से 24 वर्ष, 25 से 45 वर्ष और 45 वर्ष या उससे अधिक। चुने गए उत्तरदाताओं में इन आयु श्रेणियों का अनुपात क्रमशः 40:40:20 था।

हमने कोशिश की है कि आयु वर्गों का यह प्रतिनिधित्व इन दोनों शहरों में वास्तविक सामाजिक विन्यास के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, चुने गए नमूने का जातिगत विन्यास दोनों शहरों के जातिगत विन्यास पर आधारित है : रांची में अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है (20.22 प्रतिशत) जबकि हजारीबाग में इस समुदाय के मुकाबले अनुसूचित जातियों की आबादी ज़्यादा है (10.83 प्रतिशत)। तदनुरूप, रांची के उत्तरदाताओं में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 47.50 प्रतिशत था जबकि हजारीबाग के उत्तरदाताओं में 13.50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के थे। इन दोनों शहरों में ज़्यादातर उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी मासिक पारिवारिक आय 10,000 रुपये से कम है। दोनों ही शहरों में महिला उत्तरदाताओं में ज़्यादातर गृहणी और छात्राएं थीं मगर तुलनात्मक रूप से युवा महिलाओं में शिक्षा का स्तर ज़्यादा उम्र की उत्तरदाताओं के मुकाबले बेहतर था।

दोनों ही शहरों में अविवाहितों की संख्या भी उल्लेखनीय है हालांकि जहां तक प्रवासन का सवाल है तो सबसे ज़्यादा पुरुष 25–44 वर्ष आयु समूह में हैं। रांची में प्रवासी महिलाएं ज़्यादा हैं (36 प्रतिशत) जो बेहतर रोज़गार की उम्मीद में यहां आयी हैं। रांची की 67 प्रतिशत और हजारीबाग की 47 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण इलाकों से शहर में आयी थीं। दोनों ही शहरों में ज़्यादातर महिलाएं अपनी शादी के फलस्वरूप शहर में आयी हैं जबकि पुरुष अधिकांशतः रोजगार की तलाश में शहर में आए हैं। रांची और हजारीबाग, दोनों ही शहरों में निवासियों की अंतःनगरीय गतिशीलता को देखकर पता चलता है कि लगभग एक तिहाई उत्तरदाता व्यवसायिक वजहों से यात्रा करते हैं। अंतःनगरीय गतिशीलता के रुझानों से पता चलता है कि रांची में 35 प्रतिशत और हजारीबाग में 33 प्रतिशत महिलाएं अपने काम पर आने–जाने के लिए यात्रा करती हैं। दोनों ही शहरों में सबसे ज़्यादा गतिशीलता 18–24 वर्ष के युवकों में पायी गई।

हालांकि सघन और विस्तृत डेटा विश्लेषण के आधार पर न्यू कॉन्सेप्ट ने पारिवारिक सर्वेक्षण की एक विस्तृत शोध रिपोर्ट तैयार की है मगर सर्वेक्षण से मिले कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। इन जानकारियों से इस बात का भी पता चलता है कि दोनों शहरों के सुरक्षा तंत्र में कौन सी कमियां हैं जिनको फौरन दूर किया जाना चाहिए।

1- LFkkuh; vkokxeu d #>ku

रांची और हजारीबाग में ज़्यादातर पुरुष और महिलाएं – लगभग तीन चौथाई – पैदल ही अपने काम पर जाते हैं। रांची में 75 प्रतिशत और हजारीबाग में 76 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने शिक्षा संस्थान या कार्यस्थल पर पैदल जाती हैं। दोनों ही शहरों में :

- पैदल यात्रा के बाद ऑटोरिक्शा और एक से अधिक सवारियों को ले जाने वाले साझा ऑटोरिक्शा (इसी क्रम में) यात्रा के सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले साधन हैं; तथा
- वेतनभोगी रोज़गार करने वाली ज़्यादातर महिलाओं को काम पर पहुंचने में 30 मिनट से कम समय लगता है।

2- lkoZtfud LFkkuksa ij efgykvksa dh igqap ;k mldk vHkko % dqN fo'ks"krk,a

दोनों ही शहरों में जो महिलाएं आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाती हैं या नहीं गई हैं उन्होंने इसके पीछे मुख्य वजह यही बतायी कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर, गौरतलब है कि हजारीबाग में 20 प्रतिशत महिलाओं ने यह भी कहा कि वे बाहर नहीं जाती क्योंकि उनके परिवार वाले उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते (देखें ग्राफ 1.1)। रांची में 6 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उन्हें बाहर जाने में डर लगता है जबकि अन्य 6 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है।

ग्राफ 1.1 सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की अनुपस्थिति की वजहें

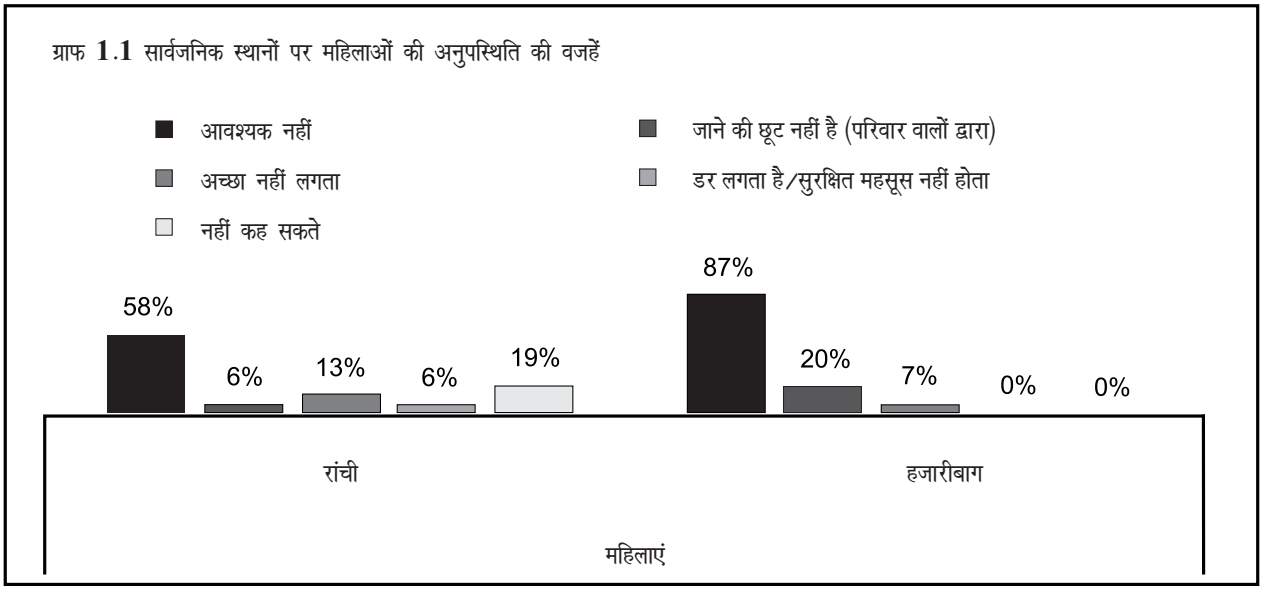

यह बात न केवल इस बात को दर्शाती हैं कि इन शहरों की सड़कों पर महिलाओं के लिए किस तरह के खतरे हो सकते हैं बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि महिलाओं की आवाजाही पर किस तरह का नियंत्रण रखा जाता है और इन शहरों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं की स्थिति अच्छी नहीं है।

सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच में इस फ़र्क़ का एक संबंधित और चौंकाने वाला पहलू तब सामने आता है जब हम व्यवसाय के अलावा अन्य कारणों से होने वाले आवागमन के डेटा को देखते हैं। रांची में 65 प्रतिशत पुरुष अकेले

ग्राफ 1.2 नौकरी के अलावा आवागमन

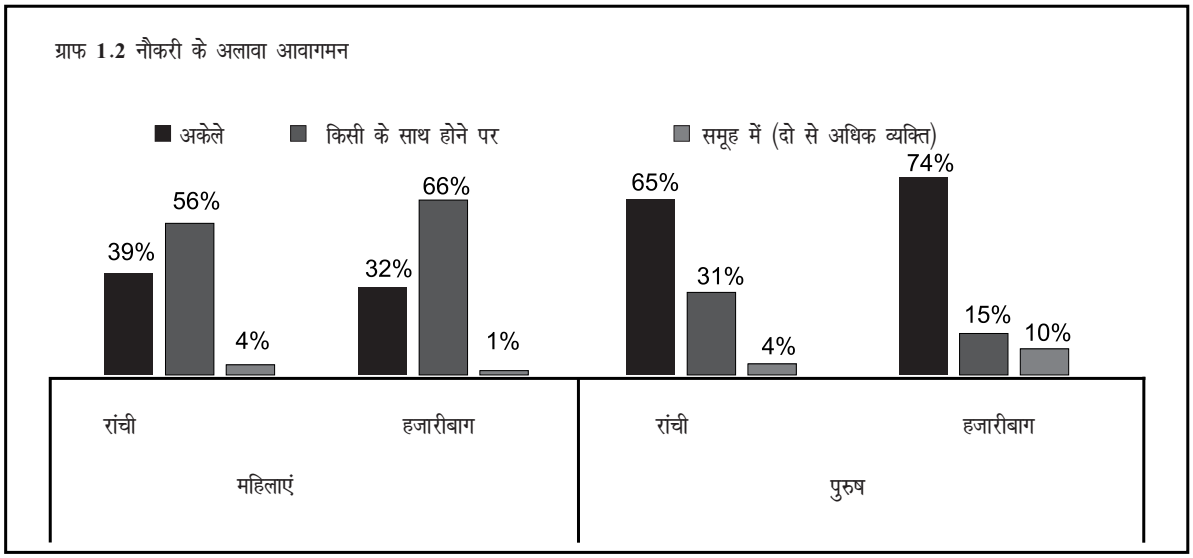

यात्रा करते हैं जबकि अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या केवल 39 प्रतिशत है (ग्राफ 1.2)। यह फ़ासला हजारीबाग में भी साफ दिखायी देता है जहां 74 प्रतिशत पुरुष और केवल 32 प्रतिशत महिलाएं अकेले यात्रा करती हैं। दोनों ही शहरों में ऐसी महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा है जो किसी को साथ लिये बिना घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। इसके बावजूद यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि रांची में 39 प्रतिशत और हजारीबाग में 32 प्रतिशत महिलाएं अकेले यात्रा करती हैं। सार्वजनिक सुरक्षा के प्रसंग में इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए।

3- lqjf{kr o vlqjf{kr LFkku vkj dkjd

किसी शहर के लोग अपने सार्वजनिक स्थानों का किस तरह प्रयोग करते हैं, यह बात शहर के लोगों की सोच से काफ़ी हद तक तय होती है। इसलिए, नगर योजनाकारों, पुलिस व सेवा प्रदाताओं और महिलाओं व लड़कियों की सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के लिए प्रयासरत सभी लोगों को इस सोच व रवैयों पर ख़ास ध्यान देना चाहिए।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि दोनों ही शहरों की महिलाएं अधिकांशतः भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की कोशिश करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसे स्थानों पर उत्पीड़न की आशंका दिखायी देती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी जगहों पर जाने से भी कतराती हैं जहां प्रायः पुरुष ही ज़्यादा होते हैं। शराब की दुकानें, पान और सिगरेट की दुकानें, खुले और घने पेड़–पौधों वाले इलाके, ऑटो रिक्शा/बस स्टैंड, बाजार/मॉल तथा बसें ऐसे स्थान हैं जहां कुछ महिलाएं दिन में भी नहीं जाना चाहतीं। इस भय से उनकी दैनिक आवाजाही पर अंकुश तो लगता ही है साथ ही निर्भय होकर सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की संभावनाओं और उनके जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है।

दोनों ही शहरों में 8–9 प्रतिशत महिलाओं ने यह भी बताया कि वे सार्वजनकि शौचालयों का प्रयोग नहीं करतीं क्योंकि वहां पुरुष मौजूद रहते हैं। विडंबना यह है कि महिलाएं जिन स्थानों पर जाने से कतराती हैं (दोनों ही शहरों में) उनमें कई बार पुलिस थानों का भी उल्लेख आया : रांची में 17 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे दिन या रात में, कभी भी थानों में जाने से बचती हैं। जब यह पूछा गया कि "आप किन स्थानों/इलाकों से बचकर रहती हैं" तो जिन महिलाओं ने कहा कि वे "स्कूल/कॉलेज/कोचिंग क्लासेज़" में जाने से कतराती हैं, उनमें से एक तिहाई छात्राएं थीं और यह संख्या रांची और हजारीबाग, दोनों शहरों में काफ़ी बड़ी थी। वजह : ऐसी इमारतों और परिसरों के भीतर और आसपास भारी भीड़ रहती है और वहां पुरुष ज़्यादा होते हैं।

महिलाओं को असुरक्षा का अहसास कराने वाले सामाजिक कारकों में पुरुषों की शराबखोरी भी एक मुख्य कारण थी। उत्तरदाताओं के मुताबिक, शराबखोरी असामाजिक व्यवहार और महिलाओं के उत्पीड़न का स्रोत है। पुरुषों के मुकाबले

ग्राफ 1.3 भौतिक बुनियादी ढांचा और सुरक्षा संबंधी खतरे

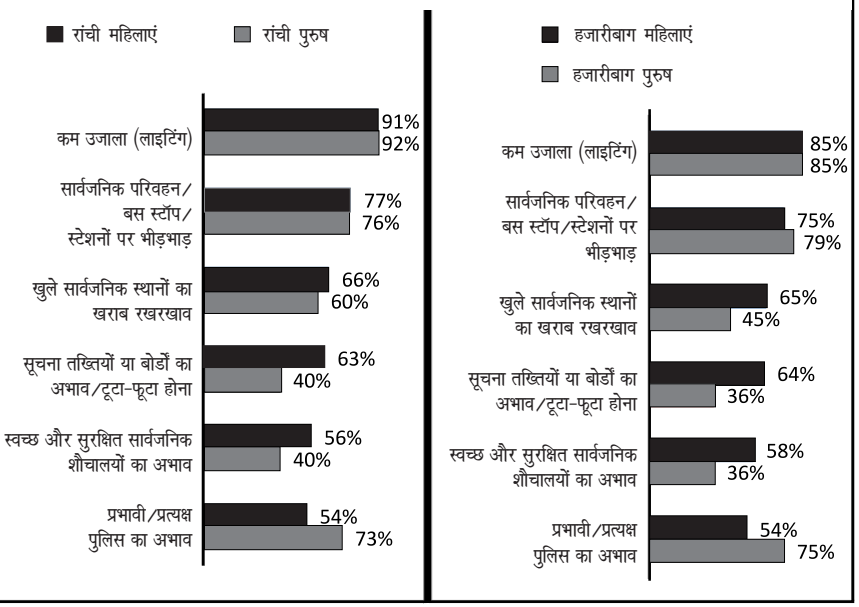

ऐसी महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी जो महिलाओं के प्रति व्यापक अनादर के भाव, कम आबादी वाले इलाके और सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों के दबदबे को महिलाओं के लिए असुरक्षा को बढ़ाने वाला कारक मानती हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध और हिंसा को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचे से संबंधित अभावों में सार्वजनिक स्थानों पर अंधेरे और भीड़भाड़, सार्वजनिक स्थलों व सार्वजनिक शौचालयों के खराब रखरखाव को काफ़ी खतरनाक बताया गया (ग्राफ 1.3)। लगभग 20 प्रतिशत पुरुषों का कहना था कि प्रभावी पुलिस बंदोबस्त का अभाव और/या पुलिसकर्मियों का दिखायी न पड़ना भी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के अभाव को और बढ़ा देता है।

4- lcls T;knk vk'kdkxLr 0;fDr vkj lcls cM [krj

इस सवाल के जवाब में दोनों शहरों के पुरुषों और महिलाओं ने निम्नलिखित को सबसे ज़्यादा आशंकाग्रस्त श्रेणी बताया : महिलाएं, विकलांग और युवा। दोनों ही शहरों में ज़्यादातर पुरुषों (हजारीबाग में 81 प्रतिशत और रांची में 76 प्रतिशत) ने कहा कि यौन उत्पीड़न का खतरा युवा महिलाओं के सामने ज़्यादा रहता है। दोनों ही शहरों की कुछ महिला उत्तरदाताओं ने जाति को भी इसके पीछे एक मुख्य कारक बताया। यह इस बात का संकेत है कि सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों की उपस्थिति के कारण हाशियाई समुदायों की महिलाएं ज़्यादा असुरक्षित और/या भयभीत महसूस करती हैं।

अपने–अपने शहरों में सुरक्षा संबंधी जोखिमों की बात करते हुए 99–100 प्रतिशत उत्तरदाताओं (पुरुष और महिलाओं, दोनों) ने यौन उत्पीड़न को सबसे बड़ा सुरक्षा संबंधी जोखिम बताया। रांची में 93 प्रतिशत महिलाओं के मुकाबले केवल 45 प्रतिशत पुरुषों का मानना था कि यौन हमला और गंभीर यौन हमला मुख्य जोखिम हैं। यौन हमले के बारे में हजारीबाग के पुरुषों और महिलाओं की राय में भी यही फ़ासला दिखायी दिया। महिलाओं, ख़ासतौर से 18–24 वर्ष की युवतियों को इन मदों में सबसे ज़्यादा आशंकाग्रस्त बताया गया। रांची (15 प्रतिशत) और हजारीबाग (33 प्रतिशत), दोनों ही शहरों में उत्तरदाताओं ने बताया कि महिलाओं की पोशाक भी उनकी सुरक्षा को प्रभावित करती है।

ग्राफ 1.4 सुरक्षा के बारे में व्यापक धारणाएं

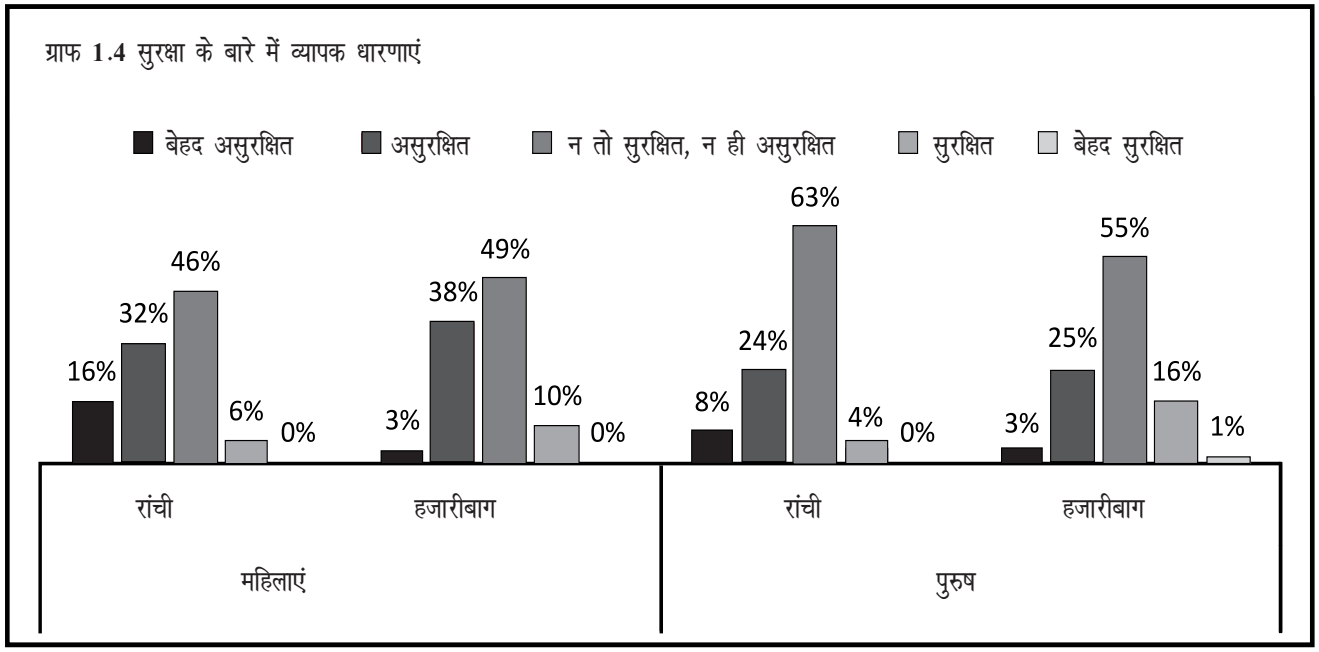

रांची (46 प्रतिशत) और हजारीबाग (49 प्रतिशत) में लगभग आधे उत्तरदाताओं को अपना शहर "न तो सुरक्षित, न ही असुरक्षित" दिखायी पड़ता है (ग्राफ 1.4)। दोनों ही शहरों में लगभग एक तिहाई उत्तरदाताओं को लगता था कि उनका शहर "असुरक्षित" है जबकि उसे असुरक्षित मानने वाले पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या एक चौथायी थी। अपने शहर को "बेहद असुरक्षित" मानने वाली महिलाओं की संख्या हजारीबाग के मुकाबले रांची में ज़्यादा थी।

5- fglk dk n[kuk vkj ml ij ifrfØ;k nuk

अपने सामने यौन हिंसा होने या उसका सामना करने पर लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, इस तरह की हिंसा करने वालों के बारे में वे जानते हैं या नहीं अथवा क्या जानते हैं और ऐसी स्थितियों में वे क्या कदम उठाते हैं, यह आंकने के लिए रांची और हजारीबाग, दोनों शहरों में पुरुष और महिला उत्तरदाताओं से सीधे सवाल पूछे गए।

रांची में 46 प्रतिशत और हजारीबाग में 54 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वे सार्वजनिक स्थानों पर यौन हिंसा की घटनाएं देख चुकी हैं। उनमें से एक चौथाई से अधिक ने कहा कि वे पिछले एक साल के दौरान ऐसी

तालिका 1 : जिन उत्तरदाताओं ने विभिन्न प्रकार की यौन हिंसा देखी है (बारंबारता के अनुसार)

महिला उत्तरदाता	रांची				हजारीबाग			
	"N"	एक बार	2-5 बार	5 बार से अधिक	"N"	एक बार	2-5 बार	5 बार से अधिक
मौखिक हिंसा	194	21%	42%	38%	161	11%	46%	43%
विजुअल/ आंखों से हिंसा	169	19%	40%	41%	125	6%	41%	53%
शारीरिक हिंसा	122	39%	37%	24%	80	35%	40%	25%
गुप्तांग दिखाना	26	77%	19%	4%	6	67%	17%	17%
पीछा करना	72	53%	31%	17%	59	56%	24%	20%
हिंसक शारीरिक हिंसा	17	59%	24%	18%	6	67%	17%	17%
यौन हिंसा/ सेक्सुअल असॉल्ट	7	71%	29%	–	2	100%	--	--

घटनाएं देख चुकी हैं। इन प्रत्यक्षदर्शियों में से ज़्यादातर युवा महिलाएं थीं। इन उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने यौन उत्पीड़न/हिंसा की ज़्यादातर घटनाएं बाज़ारों और/या मॉल्स में देखी हैं। दोनों ही शहरों में कुछ उत्तरदाताओं ने पुलिस थानों के आसपास भी यौन उत्पीड़न की घटनाएं देखी हैं जो इस बात का द्योतक है कि पुलिस थानों के निकट पड़ने वाले इलाके भी असुरक्षित हो सकते हैं।

दोनों ही शहरों में मौखिक हिंसा (सीटी बजाना, फिकरे कसना आदि) आंखों से हिंसा (घूरना, आंख मारना या ललचायी नज़रों से देखना), शारीरिक हिंसा (पकड़ना, भींचना आदि) और पीछा करना यौन हिंसा की सबसे आम क़िस्में दिखायी देती हैं। ज़्यादातर महिला उत्तरदाताओं (रांची में 80 प्रतिशत और हजारीबाग में 89 प्रतिशत) ने दो या अधिक अवसरों पर मौखिक हिंसा होते हुए देखी थी। उनके उत्तरों के अनुसार, मौखिक और विजुअल हिंसा ज़्यादातर दिन में होती है।

6- viu lkeu gbl fglk dh ?kVuk ij ifrfØ;k

दोनों ही शहरों में पुरुषों के मुकाबले ऐसी महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी जिन्होंने महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटना होने पर "पुकार लगायी और ध्यान खींचने का प्रयास किया"। रांची में 70 प्रतिशत और हजारीबाग में 71 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि इस तरह की स्थितियों में उन्होंने आवाज़ उठायी और लोगों का ध्यान खींचने का प्रयास किया। ऐसे पुरुषों की संख्या रांची में केवल 17 प्रतिशत और हजारीबाग में शून्य थी। रांची में 15 प्रतिशत और हजारीबाग में 12 प्रतिशत महिलाओं ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया मगर दोनों ही शहरों में किसी भी पुरुष उत्तरदाता ने ऐसा नहीं किया था। इससे हमारा ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि पुरुषों में इस तरह के व्यवहार को जन्म देने वाले कारक कौन से होते हैं।

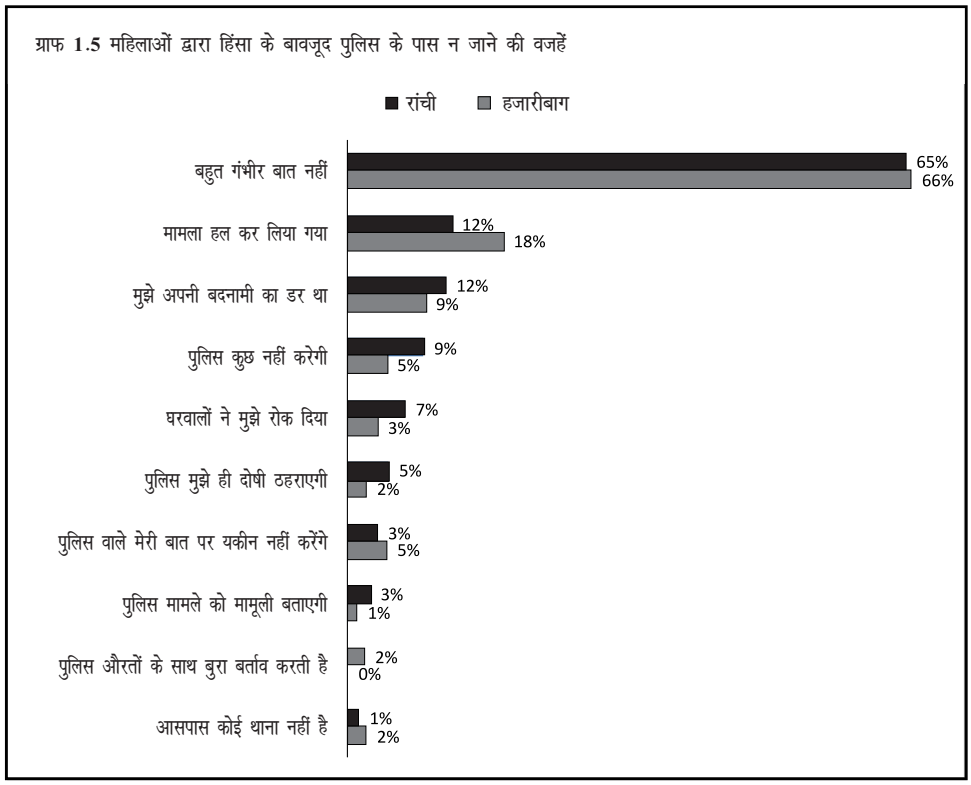

ग्राफ 1.5 महिलाओं द्वारा हिंसा के बावजूद पुलिस के पास न जाने की वजहें

जो लोग इस तरह की हिंसा के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उनके द्वारा पुलिस को इस बारे में सूचित न किया जाना ख़ासतौर से ध्यान देने योग्य बात है। पुलिस को सूचित न करने के पीछे उत्तरदाताओं ने जो वजहें बताईं वो इस प्रकार थीं : (क) उन्हें मामला ज़्यादा गंभीर नहीं लगा, या (ख) मामला पुलिस के दखल के बिना ही हल कर लिया गया (ग्राफ 1.5)। ये बयान ऐसे अधिकांश लोगों की राय को प्रतिबिंबित करते हैं जो यौन उत्पीड़न को या तो अपराध नहीं मानते या इतना गंभीर कृत्य नहीं मानते कि उसमें पुलिस के हस्तक्षेप की जरूरत हो। यह सोच हमारे सांस्कृतिक मानस में समा चुकी है इसलिए महिलाएं खुद ही अक्सर इसे बर्दाश्त कर जाती हैं और दूसरों को भी बहुधा मुंह बंद करने की सलाह देती हैं।

रांची में कुछ पुरुष उत्तरदाताओं ने बताया कि वे पुलिस को इसलिए भी सूचित नहीं करते क्योंकि तब पुलिस वाले उन पर ही आरोप लगाने लगते हैं जबकि कुछ महिलाओं ने कहा कि उनके परिवार वालों ही ने उन्हें पुलिस से दूर रहने की हिदायत दी है। रांची और हजारीबाग में एक–एक महिला ने यह भी बताया कि जब उन्होंने पुलिस वालों से अपनी आपबीती बतायी तो पुलिस वालों ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हजारीबाग की दो अन्य महिलाओं ने कहा कि उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है।

7- ifjokj dh Hkfedk

गौरतलब है कि दोनों ही शहरों में आधी से ज़्यादा महिला उत्तरदाताओं का कहना था कि उनके परिवार वाले उन्हें यौन हिंसा की स्थितियों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए "प्रोत्साहित नहीं करते।"

इसके बावजूद यह भी सच है कि रांची में 59 प्रतिशत और हजारीबाग में 67 प्रतिशत महिलाओं को ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए होने वाली चर्चाओं के रूप में अपने परिवारों से सहायता मिली है। रांची में केवल 5 प्रतिशत और हजारीबाग में केवल 4 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें ऐसी स्थितियों में अपने परिवार वालों से कोई मदद नहीं मिली और उलटे उनकी आवाजाही पर ही पाबंदियां लगा दी गईं। लगभग एक चौथाई ने कहा कि वे अपने घरवालों से इस तरह की घटनाओं के बारे में बात नहीं करतीं क्योंकि इसके बाद उनका घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा। महिला उत्तरदाताओं में से ज़्यादातर (रांची में 51 प्रतिशत और हजारीबाग में 68 प्रतिशत) ने बताया कि उन्होंने अपने साथ घटी ऐसी घटनाओं के बारे में किसी से कोई बात नहीं की क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उन्हें चुप रहने की ही सलाह देंगे।

8- iR;{knf'kZ;ksa }kjk fjiksVZ djuk

प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरों से भी पता चला कि यौन हिंसा के 70 प्रतिशत से ज़्यादा मामलों में 17 से 30 वर्ष की आयु के युवक ज़िम्मेदार थे। रांची और हजारीबाग की कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्होंने 35 से 40 साल की उम्र के अधेड़ पुरुषों को भी इस तरह की हरकतें करते हुए देखा है। रांची और हजारीबाग के उत्तरदाताओं ने कहा कि हिंसा और उत्पीड़न की हरकतें पुरुष तब ज़्यादा करते हैं जब वे समूह में होते हैं।

9- ;kSu fgalk % ljokboy] fgalk dk Lo:i vkSj vU; igyw

इस अध्ययन में शामिल महिलाओं में से रांची में 31 प्रतिशत और हजारीबाग में 28 प्रतिशत ने बताया कि वे किसी न किसी प्रकार की यौन हिंसा का सामना कर चुकी हैं। इस श्रेणी में भी, दोनों शहरों में यौन उत्पीड़न/हिंसा की सबसे ज़्यादा घटनाएं 18–24 वर्ष की युवतियों के साथ पायी गईं। ज़्यादा उम्र की महिलाओं (45 वर्ष या अधिक) के साथ यौन हिंसा की घटनाएं दोनों ही शहरों में काफ़ी कम पायी गईं। रांची में यौन उत्पीड़न/हिंसा के आंकड़े तुलनात्मक रूप से ज़्यादा थे। दोनों ही शहरों में किसी न किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न/हिंसा का सामना कर चुकी 25–44 वर्ष आयु वर्ग की उत्तरदाताओं की संख्या लगभग एक समान थी (25–26 प्रतिशत)।

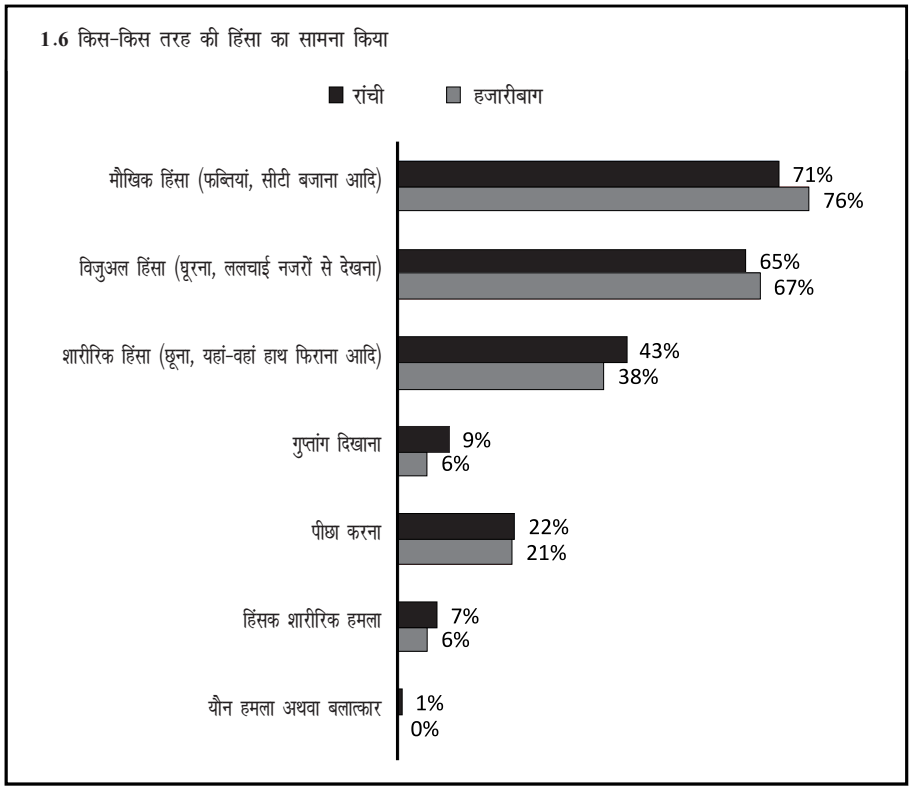

1.6 किस-किस तरह की हिंसा का सामना किया

जैसा कि ग्राफ 1.6 में दिखायी पड़ रहा है, मौखिक हिंसा सबसे आम प्रकार की हिंसा दिखायी पड़ती है : रांची में 71 प्रतिशत और हजारीबाग में 76 प्रतिशत महिलाएं इसको झेल चुकी हैं। मौखिक हिंसा में फिकरे कसना, सीटियां बजाना, भद्दी बातें बोलना और गालीगलोच करना शामिल है। इसके बाद विजुअल तथा शारीरिक हिंसा का स्थान आता है। दोनों ही शहरों में 6 प्रतिशत से ज़्यादा महिलाएं हिंसक शारीरिक हमलों का भी सामना कर चुकी हैं। इनमें से रांची की एक महिला बलात्कार की भी शिकार हो चुकी थी।

इस तरह की हिंसा की बारंबारता – ख़ासतौर से रांची में – के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। 82 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके साथ कम से कम एक बार हिंसक हमला हो चुका है जबकि हजारीबाग में 49 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे पिछले एक साल के दौरान 2 से 5 बार तक मौखिक हिंसा का सामना कर चुकी हैं। महिलाओं का पीछा करने की समस्या हजारीबाग में आम दिखायी दी। दोनों ही शहरों में सभी काल अवधियों में हिंसा की घटनाएं देखने में आयीं हालांकि ज़्यादातर घटनाएं दिन के समय और शाम के समय ही बतायी गईं।

रांची की उत्तरदाताओं ने बारंबारता के क्रम के अनुसार निम्नलिखित स्थानों पर उत्पीड़न की सबसे ज़्यादा घटनाओं का उल्लेख किया : बाज़ार/शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक परिवहन वाहन, नुक्कड़, सड़कें और स्कूल/कॉलेज/कोचिंग कक्षाएं।

हजारीबाग में उत्पीड़न के स्थानों को इस अवरोही क्रम में बताया गया : बाज़ार/शॉपिंग मॉल, सड़कों के किनारे और नुक्कड़, स्कूल/कॉलेज/कोचिंग कक्षाएं।

कुछ महिलाओं (लगभग 2 प्रतिशत) ने यह भी बताया कि वे पुलिस थानों के आसपास भी हिंसा का सामना कर चुकी हैं। इससे पहले महिलाओं ने थानों को ऐसा स्थान बताया था जहां वे "नहीं जाना चाहतीं" : रांची में वॉर्ड 15, 50 और 53 और हजारीबाग में वॉर्ड 18 और 26। पुलिस थानों को "असुरिक्षत स्थान" बताने के पिछले प्रसंग और यहां उन्हें हिंसा के स्थान के रूप में इंगित करने के बीच एक संबंध दिखायी देता है। इस प्रसंग में हमारे पास उपलब्ध आंकड़े बहुत सीमित हैं फिर भी यह एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें और गंभीरता से बात करनी चाहिए क्योंकि यह पुलिस से संबंधित है।

1.7 महिलाओं की जाति/धर्म तथा सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा

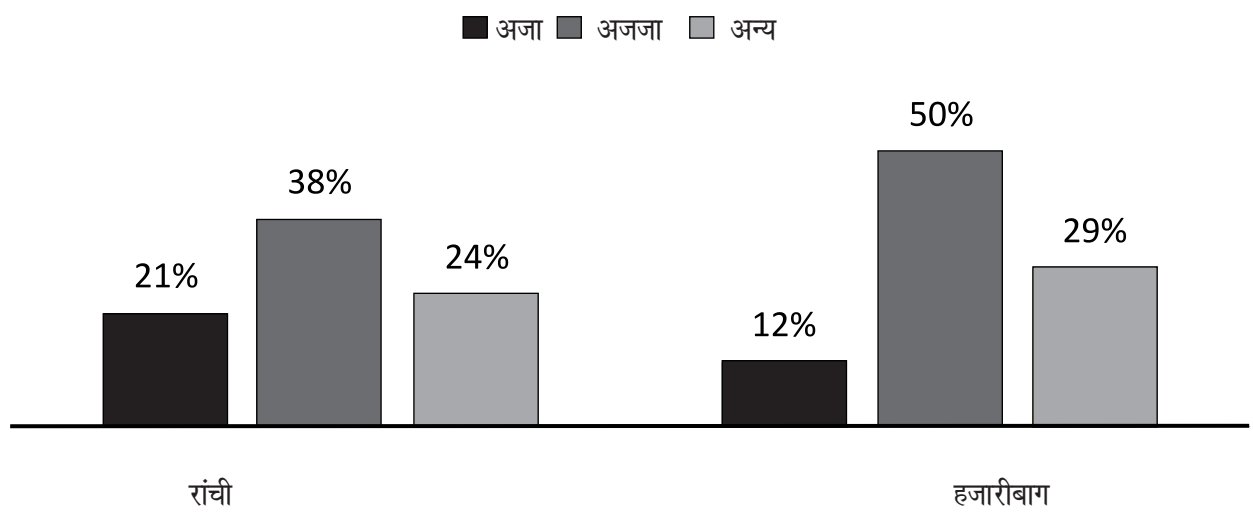

ऊपर दिए गए ग्राफ (ग्राफ 1.7) के आधार पर ऐसा लगता है कि अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं अन्य समुदायों की महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा हिंसा का सामना करती हैं। रांची के बारे में निश्चय ही यह बात कही जा सकती है मगर हमें गौर करना चाहिए कि हजारीबाग की उत्तरदाताओं में अनुसूचित जनजाति महिलाओं का प्रतिनिधित्व (और कुल जनसंख्या में भी) काफ़ी कम था। फिर भी, इससे भी यही पता चलता है कि हजारीबाग में भी अनुसूचित जनजाति महिलाओं के सामने हिंसा की आशंका अन्य समुदायों की महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा है।

दोनों ही शहरों में जनजातीय समुदायों की महिलाओं के साथ यौन हिंसा की ज़्यादा घटनाएं हुई हैं : रांची में 38 प्रतिशत और हजारीबाग में 50 प्रतिशत महिलाओं के साथ। जहां तक जनजातीय महिलाओं के साथ मौखिक हिंसा का सवाल है तो रांची में 74 प्रतिशत और हजारीबाग में 88 प्रतिशत ने बताया कि वे इस तरह की हिंसा का सामना कर चुकी हैं।

10- ;ku mRihMu@fglk lcèkh llkèkuk vkj lokvk dh tkudkjh

बहुत सारे उत्तरदाताओं ने यौन हिंसा की स्थिति में पुलिस को मदद का सबसे पहला विकल्प बताया। इसके बाद महिला थानों और हेल्पलाइन का उल्लेख किया गया। रांची और हजारीबाग में कुछ महिलाओं ने ऐसे गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) का भी नाम बताया जो उनकी राय में मददगार हो सकते हैं। रांची में उन्होंने बंधन, जनलक्ष्मी, महिला आयोग, महिला सामाख्या, महिला समाज कल्याण विभाग, प्रज्जवलित

बिहार, स्वयं सहायता समूह, स्मृति वीमेन कम्युनिटी, वीमेन्स पावर और वर्ल्ड विजन आदि संगठनों के नाम बताए। पुरुषों ने भी एकजुट, प्रेरणा भारती, सरणा महिला समिति, सेव वीमेन तथा वीमेन कम्युनिटी संगठनों के नाम बताए।

हजारीबाग में महिलाओं ने जनजागृति केंद्र, नवजागरण, मां भवानी खोरगांव, महिला सामाख्या, नवभारत जागृति केंद्र का उल्लेख किया जबकि पुरुषों ने बाबा भूतनाथ मंडली, जनशिक्षण संस्थान और साथ नामक संगठनों के नाम बताए।

गौर करने की बात यह है कि रांची और हजारीबाग, दोनों ही शहरों में लगभग सभी पुरुष उत्तरदाता जानते थे कि यौन हमला अथवा गंभीर यौन हमला, हिंसक शारीरिक हमला और दबाना/भींचना आदि शारीरिक यौन हिंसाएं क़ानून की नज़र में अपराध हैं। इसके विपरीत, महिलाओं के पास यौन हिंसा की आपराधिक परिभाषाओं की जानकारी काफ़ी सीमित थी। उदाहरण के लिए, रांची में 66 प्रतिशत और हजारीबाग में 79 प्रतिशत महिलाएं ही जानती हैं कि मौखिक उत्पीड़न भी एक अपराध है।

हजारीबाग के मुकाबले रांची में महिलाओं और पुरुषों के पास यौन अपराध के समय संसाधनों तक पहुंच ज़्यादा दिखायी दी। महिला उत्तरदाताओं में से केवल 1.5 प्रतिशत (रांची में 7/481 तथा हजारीबाग में 5/320) ने दावा किया वे किसी हेल्पलाइन नम्बर के बारे में जानती हैं। इन 12 महिलाओं (7+5) में से रांची में 29.6 प्रतिशत (2/7) और हजारीबाग में 80 प्रतिशत (4/5) ने पुलिस हेल्पलाइन नम्बर (100) बताया जबकि रांची में केवल 14.3 प्रतिशत (1/7) महिलाएं ही चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर (1098) के बारे में बता पायी।

दोनों शहरों में पुरुष और महिलाएं इस बात पर सहमत थे कि शासन को सूचित करना अच्छा रहता है। मगर, रांची में लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं (पुरुष और महिलाओं, दोनों) का मानना था कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध यौन हमले/उत्पीड़न की घटनाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया बहुत सीमित या गायब दिखायी पड़ती है। हजारीबाग में एक चौथाई से ज़्यादा महिलाओं और 41 प्रतिशत पुरुषों का भी ऐसा ही मानना था।

रांची में 41 प्रतिशत महिलाओं और 62 प्रतिशत पुरुषों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर वे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित संदेश देख या सुन चुकी/चुके हैं। हजारीबाग में ऐसी महिलाओं की संख्या 48 प्रतिशत और पुरुषों की संख्या 43 प्रतिशत थी।

रांची में लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध यौन/उत्पीड़न की समस्या को रोकने के लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठा रही है। हजारीबाग में एक चौथाई से ज़्यादा महिलाओं (28 प्रतिशत) और 41 प्रतिशत पुरुषों ने भी यही बात कही (ग्राफ 1.8)।

1.8 समस्या पर सरकार की प्रतिक्रिया की रेटिंग

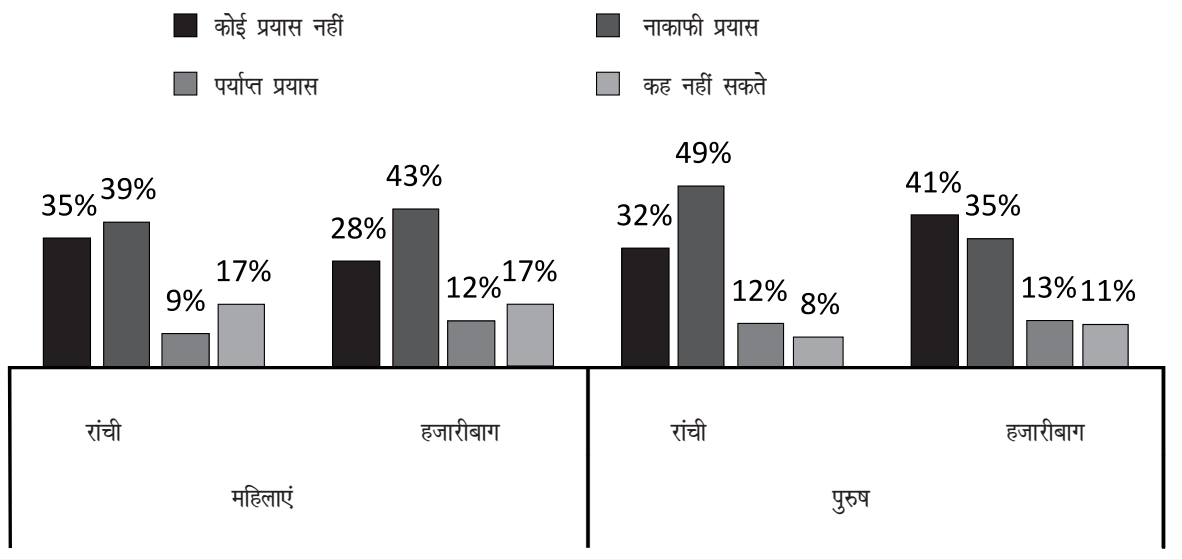

Hkkx 3

e[; urhts % fo"k; dsfnr lkefgd ppk,a ¼Qksdl xzi fMLd'kUl½

पारिवारिक सर्वेक्षण में शोध के विषय का आंकलन किया जाता है और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाते हैं जबकि विषय केंद्रित सामूहिक चर्चा (फोकस ग्रुप डिस्कशन – एफजीडी) के माध्यम से उत्तरदाताओं की सोच और रवैये के बारे में अलग तरह से मगर बहुत ठोस जानकारियां मिलती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस पद्धति के तहत ऐसे लोगों के समूह के साथ किसी निश्चित विषय पर चर्चा की जाती है जिसके मत और अनुभव शोध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और लिहाज़ा उन पर पर्याप्त रूप से ध्यान देना जरूरी है। एफजीडी एक संचालक की सहायता से उस समूह की राय जानने का एक तरीका होता है। इस पद्धति में शोध के विषय से जुड़े किसी महत्वपूर्ण शीर्षक पर सुनियोजित ढंग से चर्चा की जाती है।

महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के सवाल पर इस शोध के अंतर्गत ऐसे लोगों की राय जानना अनिवार्य था जो समाज के हाशिये पर हैं, जिनके पास सार्वजनिक स्थानों तक सीमित या बहुत कठिन अथवा न के बराबर पहुंच है। साथ ही इस विषय से जुड़े विशेषज्ञों की राय जानना भी जरूरी होता है। सार्वजनिक स्थानों के बारे में इन व्यक्तियों/समूहों के क्या अनुभव और विचार हैं, यह गौरतलब विषय बन जाता है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए रांची और हजारीबाग में निम्नलिखित समूहों के साथ 12 एफजीडी[11] आयोजित किए गए : किशोरियां, किशोर, एकल महिलाएं, घरेलू कामगार, निर्माण मज़दूर, प्रवासी मज़दूर, महिला यौन कर्मी तथा नारी अदालत (द्वारा महिला सामाख्या) की प्रतिनिधि संलग्नक को देखें। ये चर्चाएं अलग–अलग स्थानों पर सार्वजनिक सुरक्षा और आवाजाही के व्यक्तिगत अनुभवों तथा सहभागियों की समझ व जानकारी के इर्दगिर्द केंद्रित थीं। साथ ही अन्य मानकों पर भी बात की गई।

इन सभी समूहों में जो सदस्य थे/थीं उनमें जनसांख्यिकीय धरातल पर कुछ मोटी समानताएं थीं मगर एफजीडी वास्तव में किसी भी समूह के भीतर विचारों की विविधता को सामने लाने का साधन है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं की श्रृखला से वास्तविक स्थिति की एक ज़्यादा परिष्कृत, ज़्यादा जमीनी तस्वीर सामने लाने में मदद मिलती है।

नीचे के भागों में हम एफजीडी चर्चाओं का सार–संकलन पेश कर रहे हैं।

1- lkoZtfud LFkkuksa ij ;kSu mRihM+u % dc] dgk¡] dkSu\

रांची और हजारीबाग में लड़कियों और महिलाओं ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर वे विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं। उन्हें गंदे फिकरे सुनने पड़ते हैं और कई बार लोग उन्हें गुप्तांग दिखाने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को केवल सार्वजनिक स्थानों तक ही सीमित नहीं माना जाना चाहिए बल्कि घरों और परिवारों के भीतर यानि निजी दायरे में भी इस तरह की हिंसा होती है और उस पर भी बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हजारीबाग में महिला निर्माण मज़दूरों ने बताया कि जब कम उम्र के लड़के/पुरुष समूह में होते हैं तो प्रायः यौन उत्पीड़न की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। रांची युनिवर्सिटी की एक लड़की ने यह भी बताया कि वह अपने अध्यापकों पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती जबकि एक और लड़की ने कहा कि उनके शिक्षा संस्थानों में कोई यौन उत्पीड़न विरोधी समिति नहीं है।

कुछ सहभागियों ने कहा कि यौन उत्पीड़न को तय करने में उम्र एक अहम भूमिका निभाती है : किशोरियों (12–16 वर्ष) और युवतियों (15–30 वर्ष) के सामने यौन उत्पीड़न की आशंका ज़्यादा रहती है। अन्य सहभागियों का कहना था कि सभी आयु समूहों की लड़कियों व महिलाओं के सामने यौन उत्पीड़न की आशंका रहती है क्योंकि 5 साल की छोटी बच्चियों और 60 साल की बूढ़ी औरतों के साथ भी सड़कों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं।

11 संदर्भ व्यक्ति ने प्रतिभागियों के शहर में सुरक्षा की धारणाओं और अनुभवों को अंर्तलीन किया और इसके आधार पर मार्गदर्षीका को रचा व प्रत्येक चर्चा को चलाया। आमतौर पर प्रत्येक चर्चा लगभग 90 मिनट तक चली।

सार्वजनिक स्थानों से संबंधित एफजीडी चर्चाओं में 'सुरक्षा' के अहसास के बारे में कई दिलचस्प पहलू सामने आए। आमतौर पर माना जाता है कि पुरुषों की भीड़भाड़ वालें स्थानों पर यौन उत्पीड़न सबसे ज़्यादा होता है मगर लड़कियों ने बताया कि वहां उन्हें ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न तो भीड़ भरे और सुनसान, दोनों तरह के स्थानों पर होता है मगर यदि वे भीड़ में हो तो वहां उन्हें ऐसी घटना पर शोर मचाने और मदद मिलने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। दूसरी तरफ कुछ महिला सहभागियों ने यह भी बताया कि आसपास खड़े लोग चुपचाप देखते रहते हैं। जब किसी औरत के साथ ऐसी हरकतें की जाती हैं तो वे चुपचाप खड़े देखते रहते हैं और कोई दखल नहीं देते। हजारीबाग की एकल महिलाएं जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है और उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, उन्होंने बताया कि वे कभी भी अकेली खेतों में नहीं जातीं, उन्हें हमेशा समूह बनाकर ही जाना पड़ता है।

महिलाओं और लड़कियों ने रांची और हजारीबाग में ऐसी कई बस्तियों/सड़कों का भी जिक्र किया जो उन्हें ख़ासतौर से "असुरक्षित" लगती हैं।[12] रांची की महिला घरेलू कामगारों और एकल महिलाओं (दिहाड़ी मजदूर, फल विक्रेता और किसान) के एक समूह ने इन स्थानों का उल्लेख किया : पीच रोड, डिस्टिलरी रोड, कोकर, सरकुलर रोड, बीएमएल गली, हरिओम टावर, धोबी घाट, होली क्रॉस चौक, काटा टॉयल, रिम्स, लालपुर चौक, कृष्णापुरी, झंडा चौक, रिफ्यूजी मार्केट, मनीटोला और कचहरी।

हजारीबाग में कॉलेज छात्राओं और एकल महिलाओं के समूह ने निम्नलिखित को असुरक्षित स्थान बताया : निर्मल महतो पार्क (ख़ासतौर से पार्क का पिछला हिस्सा), सुरेश कॉलोनी, झील रोड, केनरी हिल रोड, सरकारी बस अड्डा, पेलावल, रोमी, जिन्जारिया पुला, देवगन चौक, सेंट कोलंबा रोड, मतवाड़ी, आनंदा चौक, महिला कॉलेजों के आस–पास के इलाके, ग्वाल टोली चौक, कैफेटेरिया रोड, कौरा, अमन कॉलोनी, हाईस्कूल इलाके, सब्जी मंडी, बीएम मार्केट, कलकत्ता मार्केट, गांधी चौक और सदर।

एफजीडी चर्चाओं के दौरान दिन/रात के समय उत्पीड़न के बीच संबंध के मुद्दे पर लड़कियों व महिलाओं की राय लड़कों की राय से विपरीत थी। उदाहरण के लिए, किशोर लड़कों का मानना था कि दिन के समय सार्वजनिक स्थान बहुत असुरक्षित नहीं होते। इसके विपरीत, महिला निर्माण मज़दूरों और प्रवासी महिला मज़दूरों ने बताया कि जब वे दिन में काम के लिए निकलती हैं तो असुरक्षित महसूस करती हैं। रांची विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली युवतियों ने शाम का समय ज़्यादा असुरक्षित बताया।

रांची की महिला घरेलू कामगार स्कूल, ट्यूशन सेंटर, बाज़ार आदि सार्वजनिक स्थानों पर अपनी बेटियों के साथ जाने को प्राथमिकता देती हैं। उनमें से एक ने बताया कि उसने अपनी बेटी की हिफ़ाजत और परिवार की बदनामी के डर से अपनी लड़की की शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी थी।

मगर, महिला सेक्स वर्कर्स का अनुभव काफ़ी भिन्न है : वे दिन और रात में किसी भी समय शहर को असुरक्षित मानती हैं। जहां एक ओर महिलाओं और लड़कियों को पुलिस की मौजूदगी सुरक्षित और भरोसा पैदा करने वाली दिखायी देती है वहीं दूसरी तरफ महिला यौन कर्मियों को ऐसा नहीं लगता क्योंकि पुलिस वाले अक्सर उनसे पैसा ऐंठते हैं और उन्हें यौन सुख के लिए मज़बूर करते हैं। सार्वजनिक बनाम निजी स्थानों के फ़र्क़ के मामले में महिला यौन कर्मियों की राय एक बार फिर अलग दिखायी दी : सार्वजनिक पार्कों में अक़सर पुलिस का छापा पड़ जाता है और लिहाज़ा वे वहां नहीं जातीं जबकि अगर वे अपने ग्राहकों के साथ उनके निजी स्थानों पर जाएं तो वहां उन्हें शोषण की आशंका रहती है। उन्हें अपने परिवार वालों के साथ चलते हुए भी सम्मान का अहसास नहीं होता और इसकी वजह से वे सार्वजनिक स्थानों पर बेहद असहज महसूस करती हैं।

12 रांची और हज़ारीबाग के क्षेत्रों में भी सुरक्षा ऑडिट अभ्यास के दौरान असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की गई। ये सुरक्षा ऑडिट भाग के पेज नंबर में सूचिबद्ध हैं।

खुद अपनी स्कूटी पर चलते हुए भी मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता।

एक युवती, रांची

हमेशा खतरा रहता है। मैं तब तक बेचैन रहती हूं जब तक मेरी भेजी हुई सारी औरतें सुरक्षित वापस नहीं लौट आतीं।

यौन कर्मी , रांची

रांची की कुछ घरेलू कामगार महिलाओं ने शहर में पुलिसकर्मियों के साथ हुए बेहद चौंकाने वाले अनुभवों के बारे में भी बताया। एक महिला ने बताया कि जब वह एक बार अपनी ननद (जिसने उसके सिर पर मारकर उसे घायल कर दिया था) के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ कराने थाने में गई तो वहां तैनात वरिष्ठ पुलिसवाले ने उसे कहा कि शिकायत लिखवानी है तो पहले कागज़ और पेन खरीदकर लाओ। जब दूसरे पुलिसवालों ने उसे घायल महिला की मदद करने को कहा तो उसने दस रुपये की रिश्वत मांगी। आखिरकार उसे दस रुपये देने पड़े और तभी उसकी शिकायत दर्ज़ हुई और वह पुलिसवाला उसे अस्पताल लेकर गया। कुछ अन्य महिलाओं ने कहा कि उन्हें थानों में तैनात पुलिस वाले बहुत गैर–मददगार लगते हैं। एक महिला ने बताया कि होली पर वे सारे पिए हुए थे और उन्होंने उसकी रिपोर्ट दर्ज़ करने से मना कर दिया था।

सार्वजनिक स्थानों के अलावा सार्वजनिक परिवहन भी यौन उत्पीड़न का एक मुख्य दायरा बतायी गयी। रांची में साझा ऑटो रिक्शा परिवहन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है और महिलाओं ने इसे ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित बताया। उन्होंने बताया कि इन ऑटो रिक्शाओं में पुरुष महिलाओं के साथ चिपककर बैठते हैं और उनको यहां–वहां सहलाते हैं, उनका दुपट्टा खींचते, उनको भींचते आदि हैं। शाम को सात बजे के बाद ऑटो रिक्शा में सवारी करना ख़ासतौर से असुरक्षित बताया गया।

2- ;kSu mRihMu dh otg vkSj mlds i{k esa fn;s x, rdZ

ज़्यादातर लड़कों ने कहा कि लड़कियों/महिलाओं की पोशाक उनके यौन उत्पीड़न की वजह है। आश्चर्य की बात है कि कुछ महिलाएं (नारी अदालत से संबंधत महिलाओं) और रांची की कुछ घरेलू कामगारों ने भी कहा कि महिलाओं की पोशाक उनके यौन उत्पीड़न की वजह बन जाती है।

मैं अपनी बहन के साथ कपड़े खरीद रही थी। तभी पास में खड़ा एक आदमी मेरी बहन को यहां–वहां छूने लगा.... जब मेरी बहन ने मुझे बताया तो मैं आपा खो बैठी। मैंने उस आदमी की वहीं चप्पल से पिटाई कर दी...। मगर घर लौट कर मैंने अपनी बहन की भी खूब खबर ली। मैंने उससे पूछा कि वह इतना हाईनेक पहनकर क्यों गयी थी... कोई ज़्यादा सही कपड़ा क्यों नहीं पहना... घर में सभी ने उसके स्वेटर को खराब बताया और आखिरकार उसने वह स्वेटर पहनना छोड़ दिया... हाईनेक में तो पूरा शरीर दिखाई देता है... अगर कोई ऐसी चीज पहनो जो शरीर से चिपक जाए तो सब कुछ दिखायी नहीं देगा क्या...!

घरेलू कामगार, रांची

मगर हजारीबाग में एकल महिलाओं और रांची में यौन कर्मियों के साथ आयोजित की गयी एफजीडी सामूहिक चर्चा में इस सोच के जवाब में तर्क भी दिये गए। उन्होंने खुद ऐसी लड़कियों और महिलाओं के साथ हिंसा के उदाहरण दिये जो विभिन्न परंपरागत भारतीय और पश्चिमी कपड़े (साड़ी, सलवार कुर्ता या जींस आदि) पहने हुए थीं। उनके साथ सड़कों पर उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती हैं। रांची की एक लड़की ने बताया कि बहुत सारे शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्हीं को अपने कपड़े, ख़ासतौर से जीन्स, पहनने से रोक दिया गया है।

हजारीबाग की एक एकल महिला ने बताया कि 'कपड़ों के कारण यौन उत्पीड़न' की सोच को कितनी व्यापक सामाजिक मान्यता मिली हुई है। उस महिला के पड़ोस में एक परिवार के घर के बाहर कुछ आदमी हर रोज पटाखे जलाया करते थे। जब वह महिला मुखिया के पास शिकायत लेकर गयी तो मुखिया, जोकि खुद एक औरत थी, ने कहा कि इस मामले में वह न तो खुद कुछ करेगी और न ही कोई और कुछ करने वाला है क्योंकि खुद तुम्हारे घर की लड़कियां ही भड़कीले कपड़े पहनती हैं। इसीलिए लड़के उनको निशाना बना रहे हैं।

जो लड़कियां आकर्षक लगती हैं उन पर यौन उत्पीड़न का खतरा ज़्यादा रहता है।

प्रतिनिधि, नारी अदालत

यौन उत्पीड़न की आशंका इससे भी तय होती है कि कोई लड़की कैसे चलती है, कैसे बात करती है। बोल्ड लड़की मेकप से लदी चलती है...

किशोर लड़का, रांची विश्वविद्यालय

पहली नज़र में ही पता चल जाता है... सलवार–सूट पहनने का भी एक ढंग होता है, और वे तो लिपस्टिक लगाती हैं, पेन्सिल हील पहनती हैं, झुमके लटकाए रहती हैं।

एक युवा लड़का हजारीबाग

औरतों की देह भाषा और हाव–भाव एक और पहलू था जो सहभागियों ने महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना था कि पढ़ी–लिखी, बड़े शहरों से परिचित महिलाएं और 'मॉडर्न' दिखने वाली महिलाएं फौरन आदमियों का ध्यान खींचती हैं। हजारीबाग में युवा लड़कों के साथ किये गए एफजीडी के दौरान पुरुषों के प्रवासन और बेरोज़गारी को भी यौन उत्पीड़न की घटनाओं में इजाफे की वजह बताया गया।

रांची में घरेलू कामगारों और निर्माण मज़दूरों का कहना था कि इसके पीछे शराबखोरी मुख्य वजह है। उन्होंने बताया कि शराब की ज़्यादातर दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं और उन पर कोई ख़ास पाबंदियां नहीं हैं। अस्पतालों और कॉलेजों के आसपास शराब की दुकानों के होने की वजह से यहां लोगों की भीड़ लगी रहती है, वे पीते हैं और आसपास टहलते रहते हैं।

रांची के यौन कर्मी समुदाय की राय में यौन कर्मी के रूप में उनकी पहचान को ही उनके यौन उत्पीड़न का औचित्य मान लिया जाता है :

हम तो रोज ही यह छेड़खानी झेलते हैं, हम सड़क पर चलें तो हम पर तरह–तरह की गालियां और फिकरे उछाले जाते हैं।

उत्तरदाताओं ने यौन उत्पीड़न की समस्या के पीछे निम्नलिखित कारकों को भी ज़िम्मेदार बताया : फिल्मों का असर, उनमें मर्दों व औरतों की ख़ास तरह की छवियां, आसपास खड़े लोगों से मदद न मिलना, पुलिस की गश्त में कमी और लड़कों व लड़कियों की ख़ास जेंडर छवियों के अनुसार परवरिश।

हजारीबाग की एकल महिलाओं ने यह भी बताया कि उनके अकेले होने की वजह से भी उनके सामने उत्पीड़न की आशंका बढ़ जाती है। उन सभी का कहना था कि वे एक बदनामी के अहसास के साथ जीती हैं क्योंकि लोग अक्सर उनकी पीठ पीछे उनके बारे में उल्टी–सीधी बातें करते हैं। उनमें से एक ने कहा कि अगर कोई विधवा औरत मेकअप कर ले या अच्छे कपड़े पहन ले तो उस पर लोग ताने कसने लगते हैं और अगर कोई अकेली औरत शाम को अंधेरा होने पर घर लौटे तो लोगों में खुसर–पुसर शुरू हो जाती है। पड़ोसी और रिश्तेदार सभी उनकी आमदनी पर संदेहास्पद बातें करने लगते हैं।

जब मेरे पति का देहांत हुआ... तब मुझे खुद ही हर काम के लिए बाहर जाना पड़ता था... जहां भी मैं जाती तो जेठ मेरा पीछा करता रहता... वह सड़क पर दूर खड़ा होकर देखता रहता था कि मैं कहां जा रही हूं ... जैसे ही मैं किसी गाड़ी में बैठकर निकल जाती तो वह आसपास के आदमियों या लड़कों से पूछता कि

मैं कहां गई हूं... 'अब उसका कोई रखवाला तो रहा नहीं, वह जहां चाहेगी जाएगी.. अब तो वह आज़ाद हो गयी है... ।'

एकल महिला, हजारीबाग

कुछ उत्तरदाताओं ने बहुत सारी बस्तियों में स्ट्रीट लाइट्स के न होने और सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस के अभाव को भी गिनवाया। कुछ घरेलू कामगारों ने बताया कि पुलिस थानों में अकेले जाने से भी बात नहीं बनती क्योंकि कई बार पुलिस वाले एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। उनका अनुभव है कि पुलिस वाले तब ज़्यादा ज़िम्मेदारी भरा बर्ताव करते हैं जब महिलाएं समूह में जाती हैं, खासतौर से महिलाओं के किसी गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के सदस्यों के साथ जाती हैं।

3- ifjokj@lenk; d ykxk dh ifrfØ;k vkj fgLlnkjh

झारखंड में लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं में जितना भारी इज़ाफा हुआ है उसको देखते हुए लड़कियों और महिलाओं के परिवार वाले अक्सर उनकी हिफाज़त को लेकर बेहद बेचैन रहते हैं। कुछ अधेड़ और वृद्ध महिलाओं (जैसे घरेलू कामगार) ने कहा कि उन्होंने इसीलिए अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में कर दी ताकि उनके साथ यौन उत्पीड़न/हिंसा की कोई वारदात न हो जाए और जिससे उनकी होने वाली शादी में विघ्न उत्पन्न न हो जाये।

कम उम्र लड़कियों ने सुरक्षा के सवाल पर अपने परिवारों की प्रतिक्रिया के दो अहम पहलू बताए :

- पहरेदारी बढ़ जाती है

छात्राओं और कामकाजी युवतियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों और परिवहन साधनों पर होने वाली यौन उत्पीड़न की आशंका के कारण उनके घर वाले उनके घर/हॉस्टल में लौटने तक लगातार बेचैन रहते हैं। इसीलिए वे दिन भर और शाम को भी इस बात पर लगातार नज़र रखते हैं कि वे कहां जा रही हैं। मां–बाप और भाई–बहन अक्सर इन लड़कियों और महिलाओं को फोन करके पूछते रहते हैं कि वे कहां हैं या फोन पर मैसेज भेजकर पता लगाते हैं कि वे सुरक्षित हैं या नहीं।

मांएं अपनी बेटियों को तो फोन करती हैं मगर बेटों से कभी कुछ नहीं पूछतीं। लड़कियों के लिए कर्फ्यू रहता है मगर लड़कों के लिए खुली आज़ादी होती है।

लड़कियों को एक ख़ास ढंग से बर्ताव करने की नसीहत दी जाती है।

मेरी मां बार–बार मुझे कहती रहती है : ऐसे मत हंसो, जोर से बात मत किया करो, सीधी कॉलेज जाओ और सीधी घर लौटो।

छात्राएं, रांची विश्वविद्यालय

हजारीबाग की एकल महिलाओं ने भी बताया कि उन पर हर वक्त नज़र रखी जाती है और लिहाज़ा वे न केवल अपने घर वालों बल्कि पड़ोसियों और सहकर्मियों के सामने भी असुरक्षित हो जाती हैं। ऐसी ही एक महिला ने बताया कि उसके पड़ोसी ने उस पर किस तरह का फिकरा कसा :

जब तुम्हारा आदमी जिंदा था तो तुम घर से कभी–कभी बाहर निकलती थी। अब तो तुम सदा बाहर ही रहती हो।

हजारीबाग की एक निर्माण मज़दूर ने यौन उत्पीड़न की आशंकाओं को देखते हुए अपनी बेटी के आवागमन पर लगायी पाबंदियों को सही ठहराया। उसने अपने साथ हुई एक घटना के बारे में भी बताया कि मोटर साइकिलों पर सवाल कुछ किशोरों के गिरोह ने उनको किस तरह परेशान किया था।

मैं बहुत सारा बोझ लिये जा रही थी... लड़कों ने पीछे से मुझे देख लिया। मैंने सूट पहना हुआ था तो उनको लगा कि वह कोई जवान लड़की है... एक लड़का अपने दोस्त से कह रहा था, "अरे, बाइक रोक, ये तो अच्छा माल लगती है।" जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वे भाग गये थे. हमारे चेहरे ढके रहते हैं इसलिए वे हमें पहचान नहीं सकते... जब हम बूढ़ी औरतें ही इस तरह के हादसों से नहीं बच पातीं तो मैं भला अपनी जवान बेटियों को अकेले बाहर कैसे भेज सकती हूं.. क्या पता क्या हो जाए? जमाना बहुत खराब है ... बहुत बुरे दिन आ गए हैं... इसीलिए मैं अपनी लड़कियों को घर से निकलने ही नहीं देतीं।

हजारीबाग की एक और निर्माण मज़दूर से बताया कि वह अपनी बेटी को कभी काम पर नहीं भेजती और उसको बाहर भेजने की बजाय घर में उबला हुआ फीका चावल खाने को भी तैयार है। उनमें कुछ महिलाओं ने कहा कि उनकी बेटियां कभी भी अपने परिवार वालों के बिना बाहर नहीं जातीं।

- परिवार वालों से यौन उत्पीड़न को छिपाना

ज़्यादातर लड़कियों व महिलाओं ने कहा कि वे यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में अपने परिवार वालों के साथ बात नहीं करतीं। इसकी बजाये वे अपनी सहेलियों से इस बारे में बात करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सहेलियां उन्हें इस तरह के हादसों को नजरअंदाज करने की सलाह देती हैं। उनका कहना है कि इस तरह के मवालियों के ख़िलाफ़ हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कुछ लड़कियों को हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी थी जो रेडियो स्टेशनों पर बताए जाते हैं और उन्होंने महिलाओं के संगठनों के बारे में भी सुना था जिनसे जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सकता है।

गौर करने की बात है कि हजारीबाग की कुछ स्नातकोत्तर तक शिक्षित लड़कियों ने कहा कि उन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों की मौजूदगी में अपनी आवाज़ उठाने में ज़्यादा मुश्किल महसूस होती है। वे अपने परिवार वालों और ऐसे मवालियों के बीच मारपीट और फलस्वरूप परिजनों को चोट लगने की आशंका से डरी रहती हैं। साथ ही उन्हें लगता है कि इसके बाद उनको ही इन नतीजों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

कुछ किशोरियों को इस बात डर रहता है कि अगर वे परेशान करने वाले लड़कों/आदमियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगी तो उनके ख़िलाफ़ होने वाली ऐसी हिंसा और बढ़ जाएगी। अपराध करने वालों द्वारा जवाबी हमले का यह डर लड़कियों को चुप रखने में बड़ा कारगर साबित हुआ है। उन्होंने एक लड़की के बारे में बताया जिसने अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ करायी थी और बदले में 12 लड़कों ने उसका बलात्कार किया।

इन लड़कियों की एक और टिप्पणी बड़ी गौरतलब थी : लड़कियों के मां–बाप/अभिभावक यौन उत्पीड़न की घटना के समय अधिकांशतः चुप रहते हैं। उन्हें लगता है कि 'अच्छे घरों के लोग ऐसे गुंडे–मवालियों के मुंह नहीं लगते और इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज़ कर दिया करते हैं।' उन्हें यह भी डर रहता है कि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है और लड़की के साथ पहले से ज़्यादा हिंसा भी हो सकती है।

रांची की एक निर्माण मज़दूर ने बताया कि अगर हम अपने यौन उत्पीड़न के बारे में दूसरी औरतों/सहेलियों से बात करें तो इससे न केवल औरतों का डर कम हो जाता है बल्कि जागरूकता भी फैलती है और इससे अपराध को रोकने में मदद मिलती है :

क्या ऐसा नहीं होता कि जब हम किसी तरह के यौन उत्पीड़न से गुजरते हैं तो किसी को कुछ नहीं बताते....! ऐसा नहीं होना चाहिए ... आज ये मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है... हमें औरों को बताना जरूर चाहिए... एक से दो, दो से चार, चार से आठ... जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है।

निर्माण मजदूर, रांची

यौन उत्पीड़न के बारे में महिलाओं की आपसी बातचीत और एकजुटता के इस उदहारण के विपरीत उसकी ही एक साथी मज़दूर की बातों से पता चला कि औरतें क्यों चुप रहती हैं और क्यों वे अपनी बेटियों को भी चुप रहने की हिदायत देती हैं।

जब किसी औरत के साथ कुछ होता है तो उसी की बदनामी होती है, उसको छेड़ने वाले आदमी की बदनामी नहीं होती... मैं उसे (अपनी बेटी) को यही समझाती हूं...।

परिवार की भूमिका के लिहाज से यौन कर्मियों ने एक अलग नज़रिये से बात की। उनमें से ज़्यादातर का कहना था कि उनके घर वालों को पता नहीं है कि वे क्या करती हैं। वे अपने घर वालों से नहीं बतातीं कि वे यौन कर्मी हैं मगर इससे उनके लिए अनचाहे नतीजे भी सामने आते हैं : अपने परिवार वालों की जानकारी और मदद के अभाव में यौन कर्मियों उनके लिए और ज़्यादा जोखिम भरा बन जाता है और शहर में काम करना उनके लिए और मुश्किल हो जाता है।

जब मैं अकेली होती हूं तो मुझे डर नहीं लगता मगर जब घरवालों के साथ कहीं जाती हूं तो हमेशा डर लगता है। अगर उनको पता चल गया कि मैं क्या करती हूं तो क्या होगा?

यौन कर्मी, रांची

विकलांग यौन कर्मियों के लिए स्थिति और भी नाजुक हो जाती है क्योंकि वे सबसे ज़्यादा हाशिये पर जीती हैं। उनमें से एक यौन कर्मी ने बताया कि उसे काम के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। "एक बार मेरे एक ग्राहक ने मेरी बैसाखियां छिपा दी थीं। सुरक्षित रहना जरूरी है चाहे कमाई कम ही क्यों न हो।"

4- geykojk@vijkfèk;k dh i"BHkfe

जब हमलावरों के बारे में चर्चा हुई तो फिर से कई तरह के जवाब सामने आए। कुछ लड़कियों ने बताया कि ये लोग हाशियाई समुदायों के लड़के, शराबी और नशे के आदी लोग, किशोर या बाहर से आकर पढ़ाई कर रहे कॉलेज विद्यार्थी होते हैं जो महिलाओं को ज़्यादा तंग करते हैं। बहुत सारी महिलाओं ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों, हॉकरों, दर्जी या गांव वालों का भी ज़िक्र किया। कुछ का कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर लड़के झुंड बना कर इस तरह की हरकतें करते हैं। कईयों ने कहा कि 'बेरोजगार' लड़के, गरीब घरों के लड़के या बस कंडक्टर ही ज़्यादातर औरतों को छेड़ते हैं।

कुछ महिलाओं व लड़कियों का कहना था कि सभी उम्र के आदमी औरतों को परेशान करते हैं, ख़ासतौर से 40–50 साल वाले मर्द। रांची की घरेलू कामगारों के मुताबिक, कम उम्र के लड़कों से लेकर अधेड़ आदमियों तक, हर उम्र के आदमी इस तरह की हरकतों में शामिल रहते हैं।

हमारी अपनी उम्र के लड़के जब हमारे साथ बैठते हैं तो फिर भी थोड़ा फ़ासला रखने की कोशिश करते हैं। वे फब्तियां कसते हैं, आंख मारते हैं, सीटी बजाते हैं मगर ज़्यादा उम्र के आदमी तो लगातार छूने की कोशिश करते हैं।

युवती, रांची

रांची की एक कॉलेज छात्रा ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को भी इस तरह की हरकतों में शामिल बताया। उसके मुताबिक :

कुछ स्थानों के आसपास तैनात पुलिस वाले या महिला कॉलेजों के आसपास तैनात होमगार्ड के जवान जब अपनी मोटर साइकिलों पर बैठकर गश्त के लिए निकलते हैं तो वे भी लड़कियों को घूरते हैं और उनको देखकर मुस्कराते हैं। वे लड़कियों को आंख मारते हैं। उनमें से एक ने तो एक बार एक लड़की की स्कर्ट में हाथ ही डाल दिया था।

कुछ सहभागियों ने अपने भूतपूर्व जोड़ीदारों को भी संभावित उत्पीड़क बताया। महिलाओं ने बताया कि जब कोई संबधं बिगड़ जाता है या कोई औरत किसी आदमी की कोशिशों का प्रतिरोध करती है तो उसके साथ हिंसा की

संभावना बढ़ जाती है। कुछ किशोरों ने इस तरह की हरकतों को सही ठहराने की भी कोशिश की। वे भी इस तरह की घटनाओं के बारे में जानते थे जिनमें लड़की/महिला द्वारा किसी लड़के/आदमी को ठुकरा देने या मना कर देने के फलस्वरूप लड़की/महिला हिंसा की शिकार हुई। एक लड़के ने 2011 की घटना बतायी जिसमें एक लड़की का गला काट दिया गया था क्योंकि उसने उस लड़के का प्रस्ताव ठुकरा दिया था।

अगर लड़का लड़की को जानता ही नहीं है तो वह बेवजह उससे क्यों उलझेगा?

किशोर लड़का, रांची विश्वविद्यालय

यौन कर्मियों के साथ उनके कार्य स्थल पर और संभावित ग्राहकों द्वारा भी यौन उत्पीड़न हो सकता है। हो सकता है उनके कार्यस्थल हमेशा खुले स्थान न हों मगर उन्होंने जो कुछ बताया उससे कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। रांची की दो यौन कर्मियों ने बताया कि एक समूह के तौर पर काम करने के बावजूद एक बार वे देह व्यापार के जाल में फंस गयी थी और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था। वहां दो दिन तक उन्हें कैद करके रखा गया। जिस वक्त उनको बेचने का सौदा हो रहा था उसी दौरान जैसे–तैसे भाग कर वे निकल आयीं :

हम सुबह तकरीबन तीन बजे जैसे–तैसे वहां से निकले। नसीब की बात है कि हमें एक ऑटो मिल गया। जहां–तहां से हमारे कपड़े फटे हुए थे। ऑटो वाले ने हमसे पूछा कि क्या हम घर से भागकर आयी हैं। पर फिर उसने हमारी मदद की और हमें आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जाकर छोड़ दिया। वहां रांची के लिए कोई ट्रेन नहीं थी इसलिए फिर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गई और वहां सीआरपीएफ वालों से बात की। उन्होंने हमें सही रेलगाड़ी में चढ़ाया और तब किसी तरह हम वापस घर लौटी।

इसी तरह की घटनाएं कुछ अन्य यौन कर्मियों ने भी बतायीं। एक ने बताया कि किस तरह वह अपने एक ग्राहक से मिलने उसके घर गई थी मगर वहां उस आदमी ने उसे चार दिन तक बंद करके रखा। वह उसको बेचने की योजना बना रहा था।

5- lkoèkkfu;k

महिलाओं और लड़कियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर वे एक जैसे सुरक्षात्मक उपाय बरतती हैं। मसलन, हमेशा चौकस और हिम्मत से रहना, कराटे आदि आत्मरक्षा पद्धतियों का प्रशिक्षण, महिला हेल्पलाइन और पुलिस के फोन नंबरों को फोन में हमेशा ऊपर रखना, मोबाइल हमेशा चार्ज करके रखना, पश्चिमी या स्टाइलिश कपड़ों से बचना, सलवार कुर्ता व दुपट्टा पहनना तथा आदमियों को 'भैया' कहकर पुकारना। कई ने यह भी बताया कि वे सेफ्टी पिन और चाकू जैसी धारदार चीजें, पिसी हुई मिर्च और परफ्यूम भी साथ लेकर चलती हैं मगर ज़्यादातर का कहना था कि उन्होंने न तो कभी खुद इनका इस्तेमाल किया है और न ही किसी को इनका ख़ास इस्तेमाल करते हुए देखा है।

यौन कर्मियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सावधानियां : एक दूसरे के संपर्क में रहना, ग्राहक की गाड़ी का नंबर अपनी साथियों को भेज देना, मोबाइल फोन से ग्राहक की तस्वीर लेकर उसे अपनी साथियों को भेजना। रांची की लड़कियों व महिलाओं ने इन सावधानियों का भी उल्लेख किया :

झुग्गी बस्तियों में दुपट्टा पहनकर चलना वाकई अच्छा रहता है।

कुछ खास इलाकों से हम बचकर चलती हैं। ख़ासतौर से अंधेरा होने के बाद। हम शाम को 5.30 व 6.00 बजे तक घर पहुंचने की पूरी कोशिश करती हैं।

हमें रोज एक ही रास्ता लेना पड़ता है। आजकल तेजाबी हमले वगैरह आम हो गए हैं। इसीलिए हम किसी से कुछ नहीं कहते।

ये सारे उपाय इन लड़कियों की मनोदशा के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। और इनसे यौन उत्पीड़न के बहुत सारे दूसरे पहलू भी सामने आ रहे हैं : गरीब या मजदूर वर्गीय पुरुषों के प्रति आम अविश्वास, औरतों द्वारा खुद पर लगायी जा रही पाबंदियां, और ज़्यादा हिंसा की आशंका जिसकी वजह से वे चुपचाप उत्पीड़न को झेलने लगती हैं। रांची की एक एकल महिला ने भी सुरक्षा की खराब होती स्थिति के सामने चुपचाप घुटने टेक देने की इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि औरतों व लड़कियों को अपने घर में ही रहकर कोई घर का काम करना चाहिए ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े।

Hkkx 4

e[; lpuknkrkvk d lk{kkRdkj

पारिवारिक सर्वेक्षण और एफजीडी ऐसी पद्धतियां हैं जो किसी भी शोध अध्ययन में तरह–तरह की बहुत सारी आवाज़ों को समाहित कर सकती हैं मगर कुछ संबंधित पक्ष ऐसे होते हैं जिनके अनुभवों और विचारों पर ख़ासतौर से ध्यान देना जरूरी हो जाता है। "मुख्य सूचनादाता का साक्षात्कार" इसी का एक साधन है जिसकी मदद से हम चुनिंदा आवाज़ों को और अच्छी तरह दर्ज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास किसी मुद्दे के विभिन्न कोणों के बारे में सबसे ज़्यादा और विश्वसनीय समझ व जानकारी है, उनके विस्तृत साक्षात्कार लिये जाएं और उनसे अनुभव आधारित जानकारियां इकट्ठा की जाएं।

इस अध्ययन में शामिल फील्ड रिसर्चर्स ने ऐसे/ऐसी व्यक्तियों से बात की जो झारखंड में लोक सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर सक्रिय हैं सलंगणक 2 को देखें। ये इन संगठनों/संस्थाओं और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते/करती हैं : एकल नारी शक्ति संगठन, रांची सिटी बस सर्विस (रांची नगर निगम), मैत्री, राज्य महिला आयोग, महिला थाना, गुलाबी ऑटो रिक्शा, महिला सामाख्या, तथा ज़ेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीस (ग्रामीण प्रबंधन विभाग)।

इन साक्षात्कारों से जो सुझाव मिले उनको रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में 'सिफारिशें' शीर्षक भाग में देखा जा सकता है। निम्नलिखित बिंदु मुख्य सूचनादाताओं द्वारा दिये गए प्रमुख सुझावों और विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं।

- उन समूहों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिनके सामने यौन उत्पीड़न व हिंसा की आशंका ज़्यादा है, जैसे एकल महिलाएं।
- सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स और शौचालय जैसी बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का नियमित रखरखाव और मरम्मत की जाए।
- आम जनता के लिए तथा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और लोक परिवहन आदि विभागों में काम करने वाले लोगों के लिए समय–समय पर जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम चलाए जाएं।
- सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और पुख्ता किया जाए, उसे पूरे शहर के भीतर और आसपास के इलाकों तक फैलाया जाए।
- सार्वजनिक बसों में महिला कर्मचारियों को भी तैनात किया जाए और महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे ऑटो रिक्शाओं की संख्या बढ़ायी जाए।
- सभी व्यवसायों में यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों का गठन किया जाए।

Hkkx 5

e|[; urhts% l¶Vh vkfMV

किसी जगह के बुनियादी ढांचे का अध्ययन करने और विभिन्न कमियों व चिंताओं को पहचानने के लिए सेफ्टी ऑडिट या सुरक्षा आडिट की पद्धति काफ़ी कारगर साबित होती है। इसमें विभिन्न सुरक्षा मानकों के आधार पर जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त ऑडिटर (जिनमें स्थानीय निवासी भी शामिल होते हैं) निर्धारित सड़कों, पार्कों, गलियों, खुले स्थानों आदि से पैदल गुजरते हैं। वे अपने प्रेक्षणों के जरिए तथा वहां रहने वाले लोगों के साथ बातचीत के आधार पर इस बात को मापते हैं कि वे स्थान कितने सुरक्षित हैं। इस प्रक्रिया में ऐसे सभी भौतिक व सामाजिक तत्वों का जायज़ा लिया जाता है जो उस स्थान को सुरक्षित या असुरक्षित बनाते हैं। ऐसे स्थानों और इलाकों को ख़ासतौर से सेफ्टी ऑडिट में शामिल किया जाता है जहां महिलाओं व बच्चों का आवागमन ज़्यादा होता है, जैसे बस स्टाप, बाज़ार और पार्क आदि। सेफ्टी ऑडिट की पद्धति 1989 में पहली बार कनाडा में इस्तेमाल की गयी थी और तब से दुनिया भर के शहरों में अपनायी जा रही है। रांची और हजारीबाग में सेफ्टी ऑडिट के लिए सेफ्टीपिन ऐप का इस्तेमाल किया गया था।

दोनों ही शहरों में सेफ्टी ऑडिट 15 लोगों की एक टीम द्वारा सितंबर 2015 में किये गए थे। इस टीम में 12 वॉलंटियर सृजन फाउंडेशन से और तीन सदस्य जागोरी व सेफ्टीपिन की ओर से थीं। ये ऑडिट शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच किये गए।

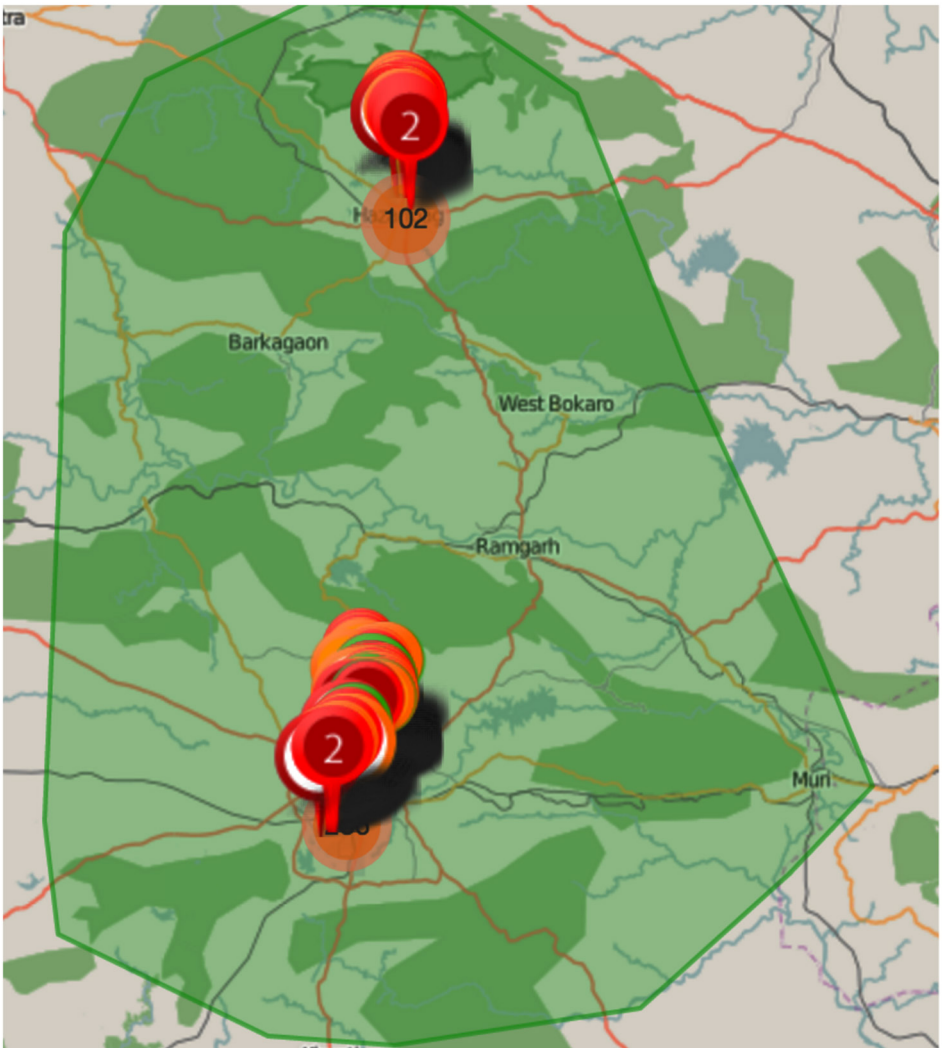

मानचित्र १ : झारखंड में सेफ्टी ऑडिट पिन

उपरोक्त नक्शे में रांची और हजारीबाग में सेफ्टी ऑडिट के फलस्वरूप बनायी गयी पिन दिखायी दे रही हैं।

दोनों शहरों में दर्ज किये गए 325 सेफ्टी ऑडिट पिनों में से 230 रांची में और 95 हजारीबाग में थे। दोनों शहरों में कई रास्तों को सोच–समझकर ऑडिट के लिए चुना गया। इनमें आवासीय इलाके, प्रमुख बाजार, विश्वविद्यालय, छावनी, प्रमुख मार्ग और परिवहन बिंदु आदि शामिल थे। ऐसे सभी संभावित सार्वजनिक स्थानों का जायज़ा लेने की कोशिश की गयी जहां से शहर के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा की स्थिति के बारे में पता चल सकता है। रांची में सेफ्टी ऑडिट के लिए जो आठ रास्ते चुने गए वे थे हटिया, स्टेशन रोड, वेस्ट अशोक नगर, चर्च रोड, मेन रोड, एम जी रोड, बैरातू, कांके और सर्कुलर रोड। हजारीबाग में जो पांच रास्ते चुने गए वे थे : रांची–जमशेदपुर रोड, केनरी हिल्स, नवाबगंज, रांची–पटना रोड और सीटीएस कॉलोनी।

ऑडिटर्स ने शहर के बुनियादी ढांचे के बारे में डेटा इकट्ठा किया और साथ ही सड़क पर गुजरते लोगों से भी सुरक्षा के बारे में उनकी राय इकट्ठा की।

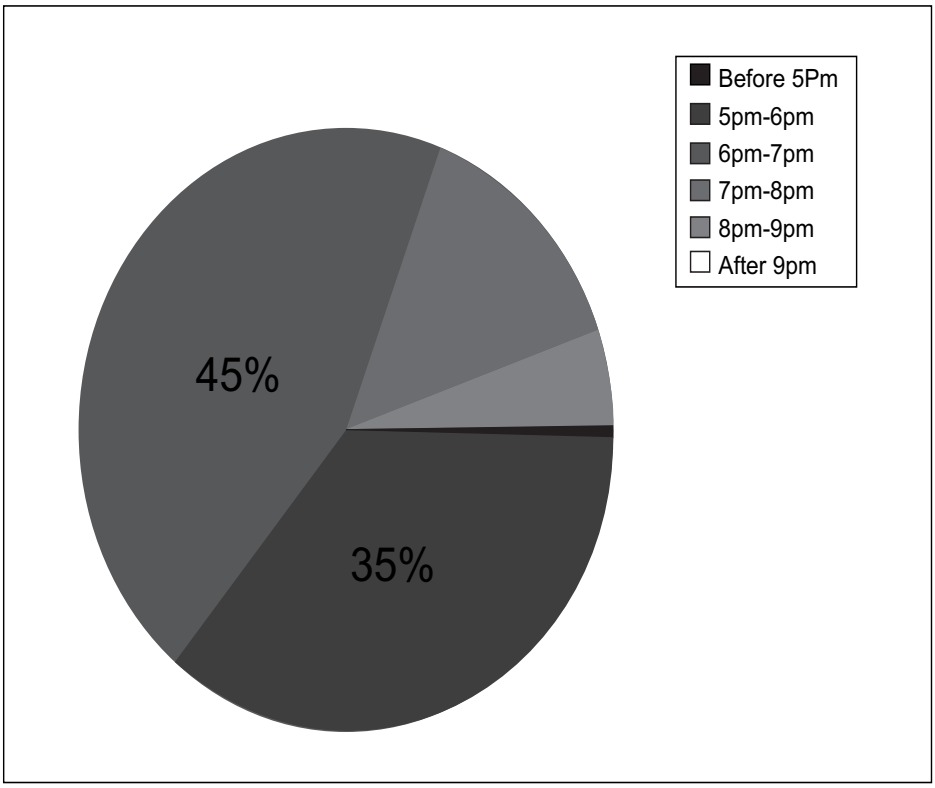

ग्राफ 1 : सेफ्टी ऑडिट्स का दिन/रात का कार्यक्रम

झारखंड में किये गए सेफ्टी ऑडिट्स इस बात को दर्शाते हैं कि बहुत सारे सार्वजनिक स्थान जो कि दिन के समय सुरक्षित और पहुंच के भीतर दिखायी देते हैं वही दिन ढलने के बाद असुरक्षित और सुनसान होने लगते हैं। लिहाज़ा, जैसा कि ग्राफ 1 में दिखायी पड़ रहा है, ज़्यादातर सेफ्टी ऑडिट (94 प्रतिशत) शाम को 5 से 8 बजे के बीच किये गए। शाम 8 बजे के बाद केवल 5 प्रतिशत ऑडिट किये गए।

झारखंड के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर हमारी राय में यह राज्य नागरिकों, ख़ासतौर से महिलाओं व बच्चों के लिए एक असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आता है। 0.3 के पैमाने पर इसका औसत स्कोर सभी सेफ्टी ऑडिट मानकों पर क़ाफी दयनीय रहा है।

ग्राफ 2 में दिखाया गया है कि भीड़ संबंधी पहलू के अलावा (जिसका स्कोर औसत है) बाकी सभी ऑडिट कसौटियों पर यहां की रेटिंग औसत व खराब से नीचे ही रही है। जेंडर संतुलित भीड़, प्रत्यक्ष सरकारी व निजी सुरक्षा बंदोबस्त, सार्वजनिक परिवहन साधनों की उपलब्धता, सड़क पर उजाले और स्ट्रीट लाइट्स की स्थिति ख़ास तौर से खराब दिखायी देती है।

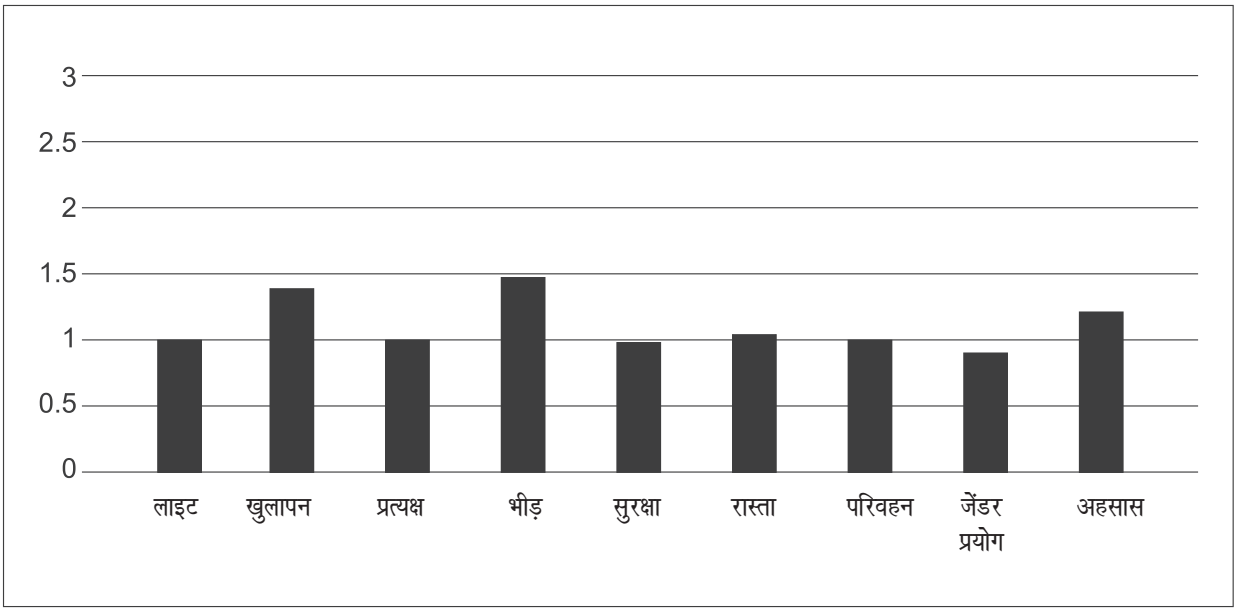

ग्राफ 2 : सेफ्टी ऑडिट मानकों पर औसत स्कोर (झारखंड)

ग्राफ 3 (नीचे) दिखाता है कि भीड़ में महिलाओं और पुरुषों की एक जैसी उपस्थिति, सुरक्षाकर्मियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति, भीड़भाड़ और सड़कों पर उजाले से सुरक्षा के अहसास पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसके बाद सार्वजनिक परिवहन, सड़क पर निगाह और इलाके का खुलापन भी इसे प्रभावित करता है। चलने का अच्छा रास्ता सुरक्षा के अहसास पर ज़्यादा असर नहीं डालता।

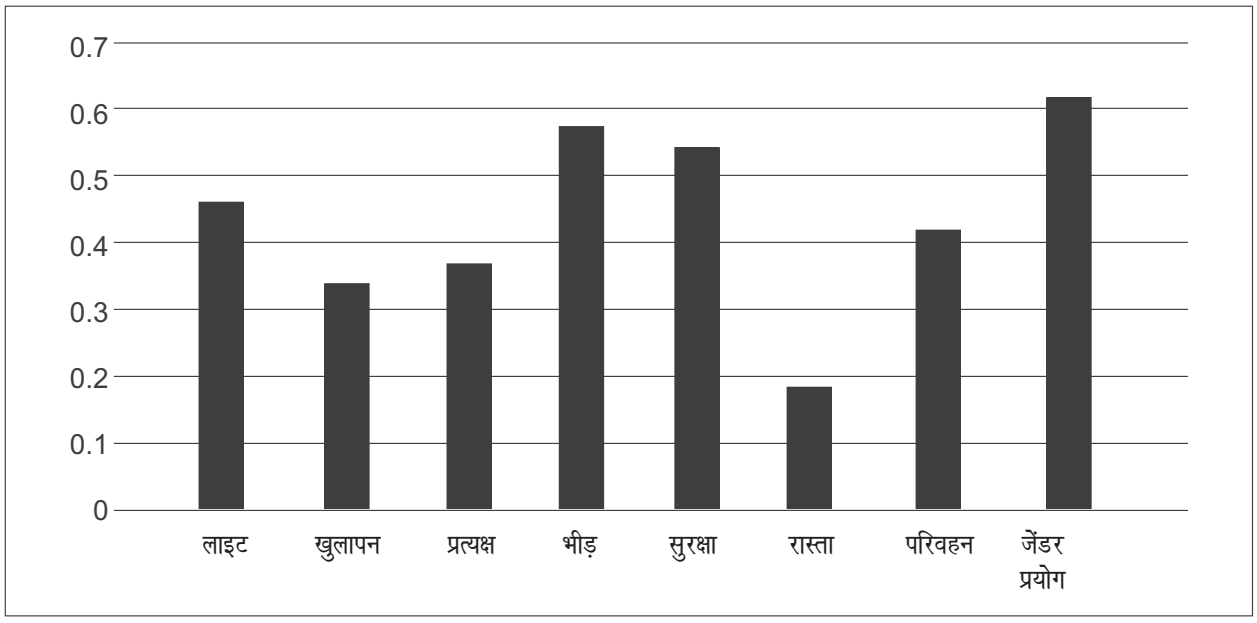

ग्राफ 3 : सुरक्षा बोध के साथ सेफ्टी ऑडिट कसौटियों का सहसंबंध

जब हम ग्राफ 2 और ग्राफ 3 की तुलना करते हैं तो साफ हो जाता है कि स्ट्रीट लाइटों, सिक्योरिटी बंदोबस्त, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने की सख्त जरूरत है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरुषों की समान सहभागिता भी आवश्यक है।

jkph e fd;s x, l¶Vh vkfMV d urht

वर्ष 2000 में जब रांची को नवगठित झारखंड राज्य की राजधानी घोषित किया गया तो यहां बड़ी संख्या में प्रवासी आने लगे थे। देश के तृतीय श्रेणी शहरों में रांची ऐसा शहर है जहां इस बीच बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हुए हैं। यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर और दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला (धनबाद के बाद) भी है।

रोजगार के अलावा शिक्षा की संभावनाएं एक और वजह हैं जिसके चलते दूसरे इलाकों के लोग रांची की तरफ आते हैं। रांची जैसे लगातार बढ़ते, फैलते शहर के मामले में सार्वजनिक सुरक्षा मानकों पर ध्यान देना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है।

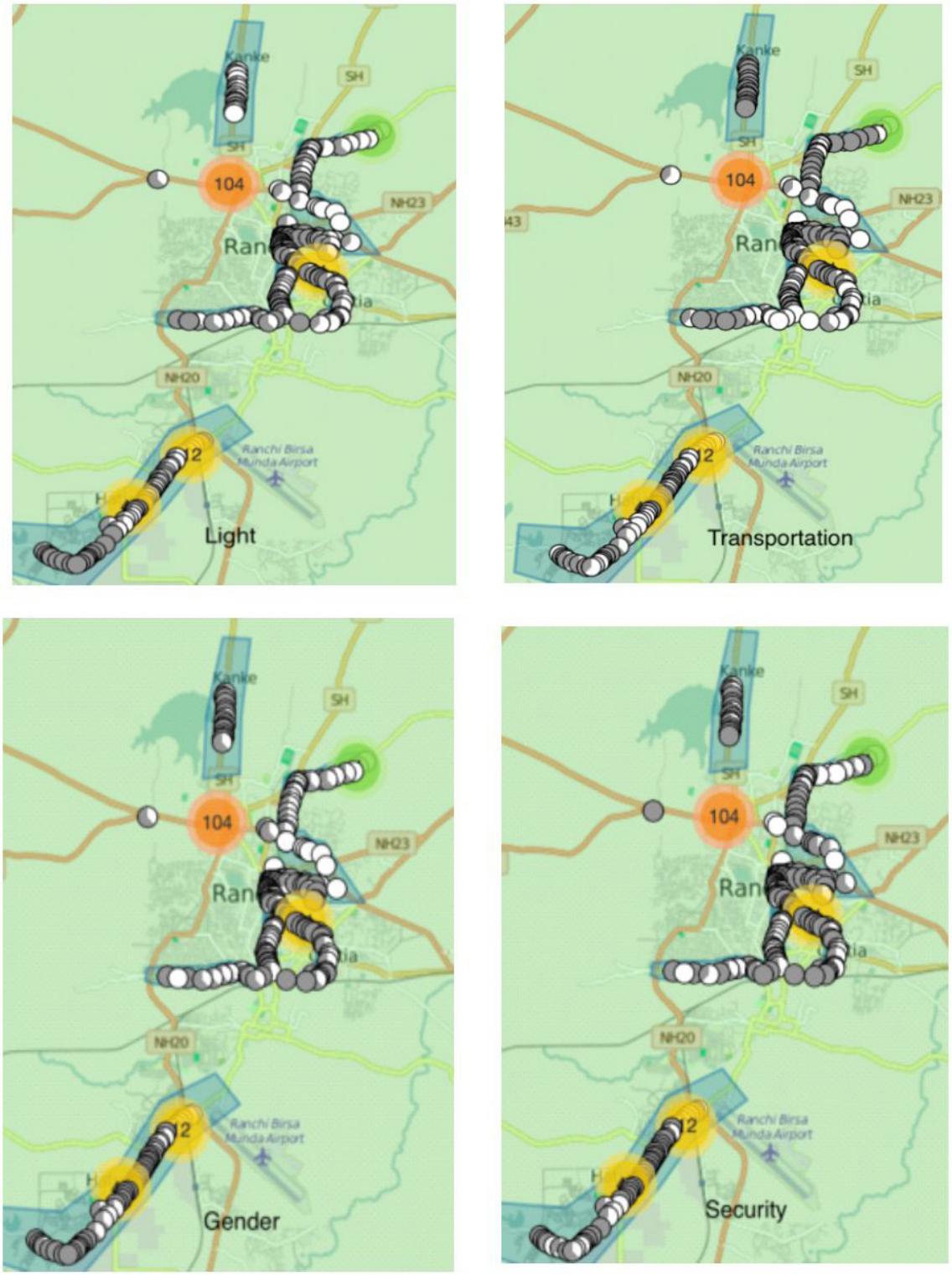

मानचित्र 2 : रांची के लिए सेफ्टी ऑडिट कसौटियां

नक्शे में दिखायी दे रहे गहरे सलेटी, हल्के सलेटी और सफेद निशान ऊपर उल्लिखित चार कसौटियों के प्रसंग में खराब, औसत और अच्छे स्कोर के द्योतक हैं। सुरक्षा के अहसास पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाले कारकों का विश्लेषण करने के लिए सेफ्टी ऑडिट के प्रत्येक मानक पर आधारित जो स्कोर आए हैं उनका ऑडिटर्स के अपने 'सुरक्षा बोध' के साथ मिलान किया गया।

चार नक्शों का यह समूह (मानचित्र 2) जेंडर विविधता, (सार्वजनिक और निजी) सुरक्षा, लाइटिंग और सार्वजनिक परिवहन, इन चार मानकों के साथ साथ ऑडिट के नतीजों को दिखाता है।

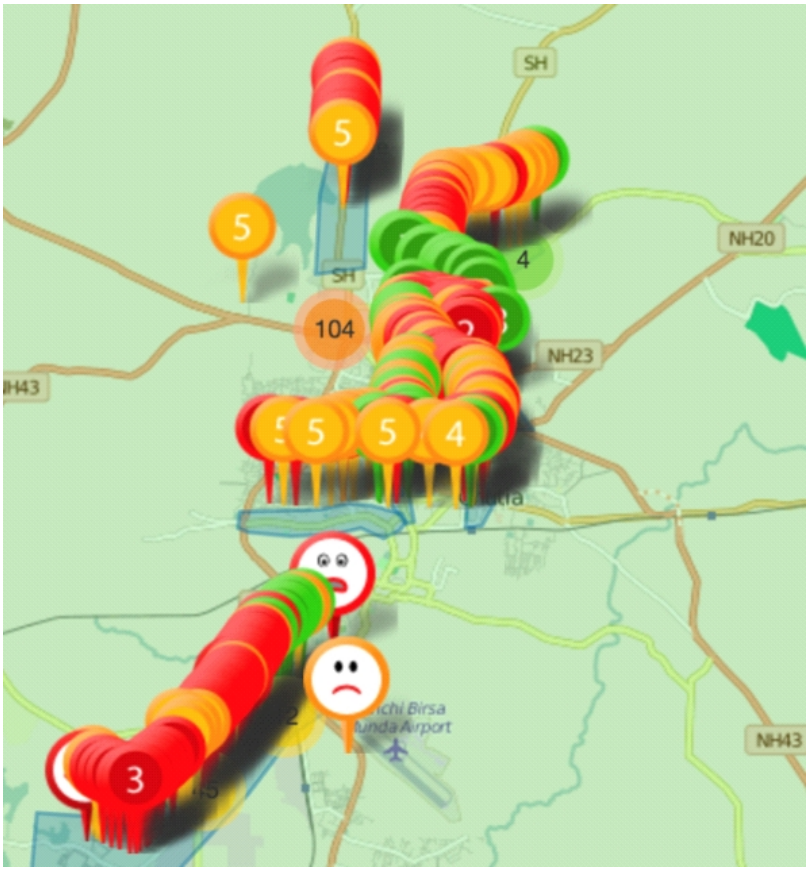

मानचित्र 3 : रांची में सेफ्टी ऑडिट पिन

जैसा कि मानचित्र 3 में दिखायी पड़ रहा है, रांची में कुछ हरे पिन (यानि सुरक्षित इलाके) भी हैं; ज़्यादातर पिन लाल (यानि असुरक्षित) तथा गहरे पीले (औसत सुरक्षा स्तर) हैं।

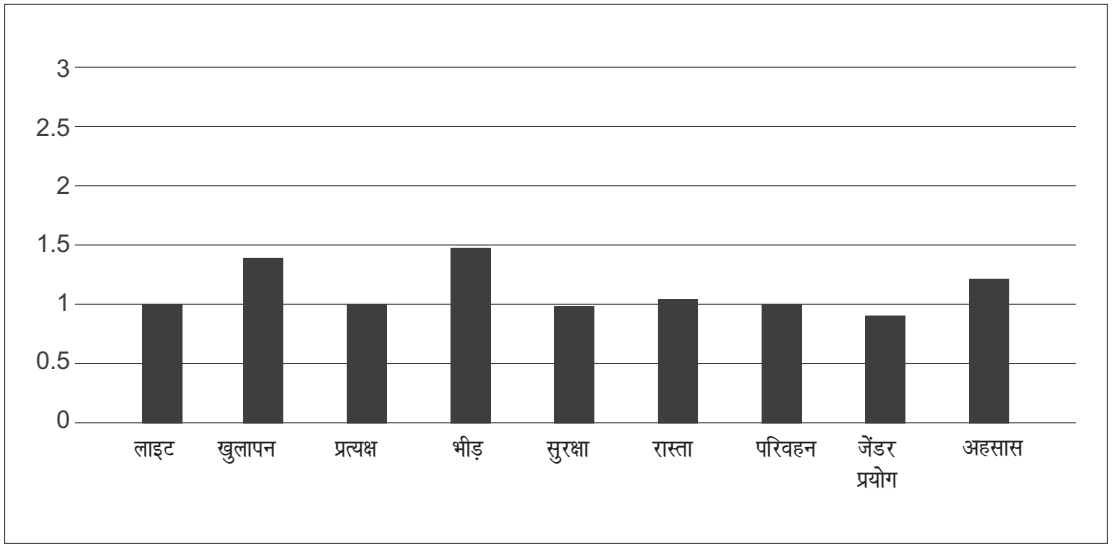

ग्राफ 4 : रांची में सुरक्षा के मानकों का औसत

ग्राफ 4 में दिखाया गया है कि रांची में सभी मानकों पर स्कोर औसत से नीचे रहा है : अधिकतम 3 अंक वाले ग्राफ पर 1.5 से भी कम अंक।

इस विश्लेषण (ग्राफ 4) के नतीजों की पुष्टि ग्राफ 5 में दिये गए नतीजों से भी होती है जिसमें उन आठों स्थानों का विवरण दिया गया है जिनका आडिट किया गया। मेन रोड और एम जी रोड के अलावा बाकी सभी इलाकों में उजाले, सुरक्षा, जेंडर संतुलित प्रयोग और स्ट्रीट लाइटिंग का स्कोर औसत रहा है। मेन रोड और एम जी रोड शहर के सबसे सुरक्षित इलाके दिखायी देते हैं मगर कांके विचलित करने की हद तक असुरक्षित दिखायी पड़ता है। यहां सभी आडिट मानकों का स्कोर बहुत खराब आया। गौर करने की बात है कि कांके में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह गायब है।

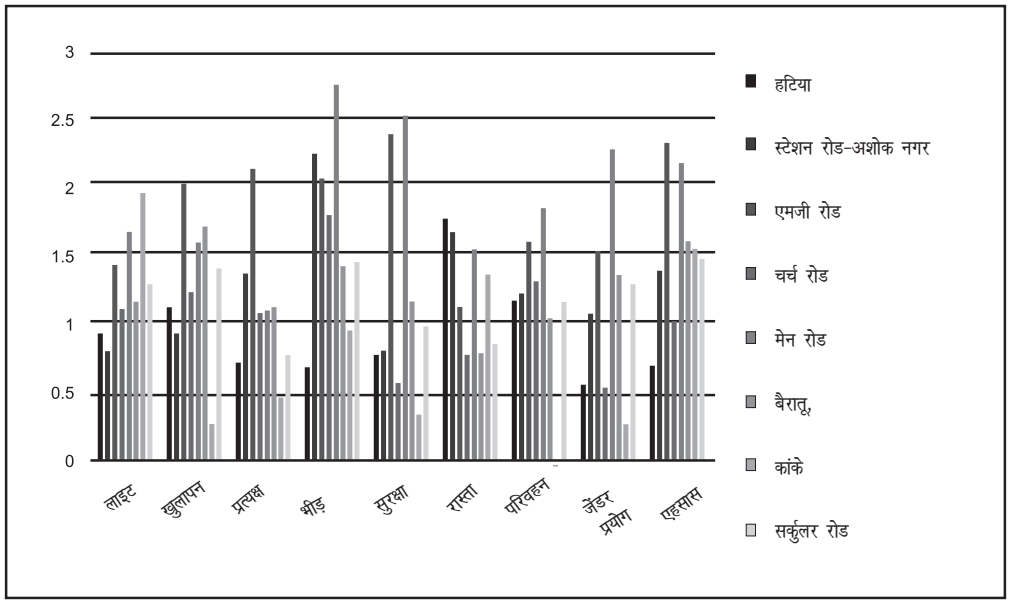

ग्राफ 5 : रांची के आठ चुने गए स्थानों पर औसत सुरक्षा स्कोर

सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानने के लिए सुरक्षा बोध का सेफ्टी ऑडिट के शेष मानकों से मिलान करके देखा गया।

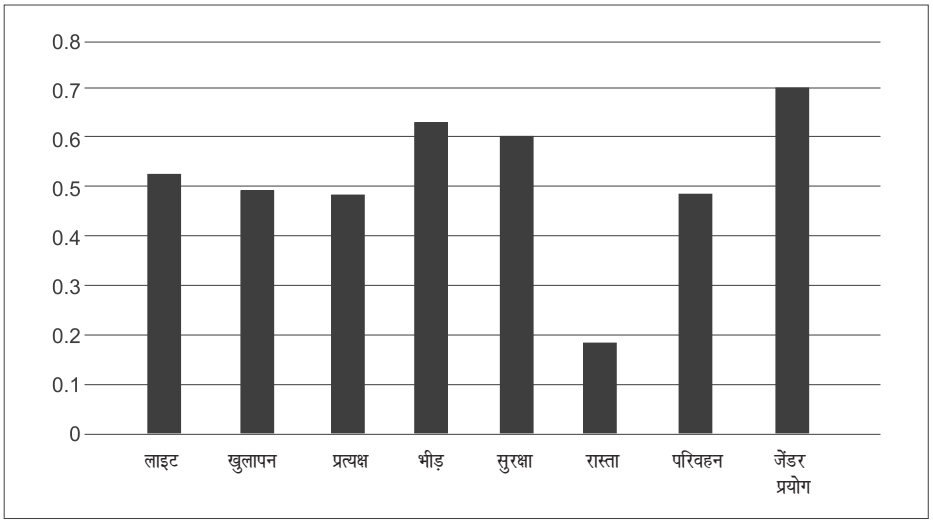

ग्राफ 6 : सुरक्षा बोध के साथ सेफ्टी ऑडिट मानकों का मिलान

ग्राफ 6 में दिखाया गया है कि जब सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ होती है, वहां महिलाओं और पुरुषों की उपस्थिति बराबर होती है, वहां उजाला होता है और सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं तो सुरक्षा का भाव भी ज़्यादा होता है। सार्वजनिक परिवहन, 'सड़क पर आंखों' की उपस्थिति यानि गहमागहमी तथा खुलापन सुरक्षा के अहसास को पुष्ट करने वाले कारकों की सूची में इसके बाद आते हैं। इन ऑडिट्स का एक अहम सबक यह है कि सुरक्षा के अहसास पर बुनियादी ढांचे की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की उपस्थिति, दोनों से सीधा फ़र्क़ पड़ता है।

gtkjhckx e l¶Vh vkfMV d urht

झारखंड में दूसरे सबसे विशाल कोयला भंडार हजारीबाग में स्थित हैं। फलस्वरूप, यह शहर राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है। इसके चलते प्रवासियों की एक अच्छी–ख़ासी आबादी बेहतर रोज़गार अवसरों की संभावना को देखते हुए हजारीबाग में आकर बस गयी है।

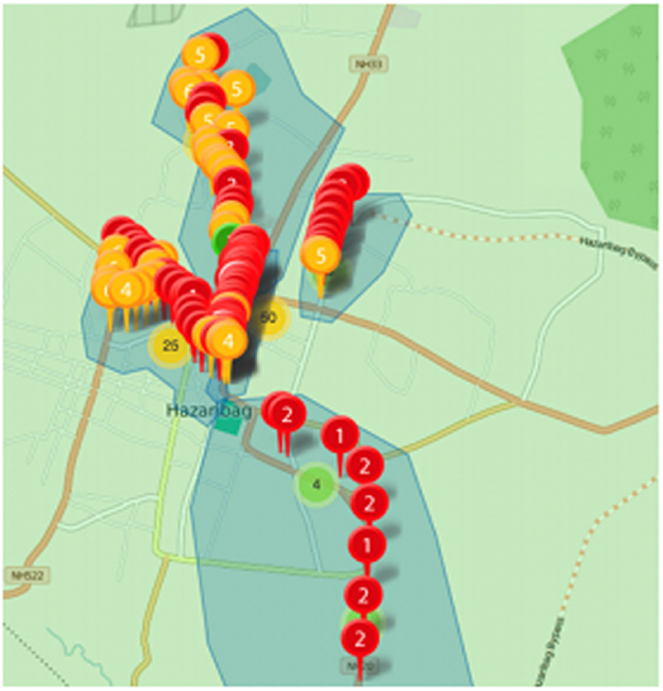

मानचित्र 4 : हजारीबाग में सेफ्टी ऑडिट पिनें

हजारीबाग में सेफ्टी ऑडिट (मानचित्र 4) में ज़्यादातर लाल रंग के पिन (यानि असुरक्षित इलाके) दिखायी देते हैं जबकि कुछ पिन गहरे पीले रंग के हैं जो इस बात के द्योतक हैं कि ये सार्वजनिक स्थान सुरक्षा और नियोजन की दृष्टि से औसत स्तर पर हैं।

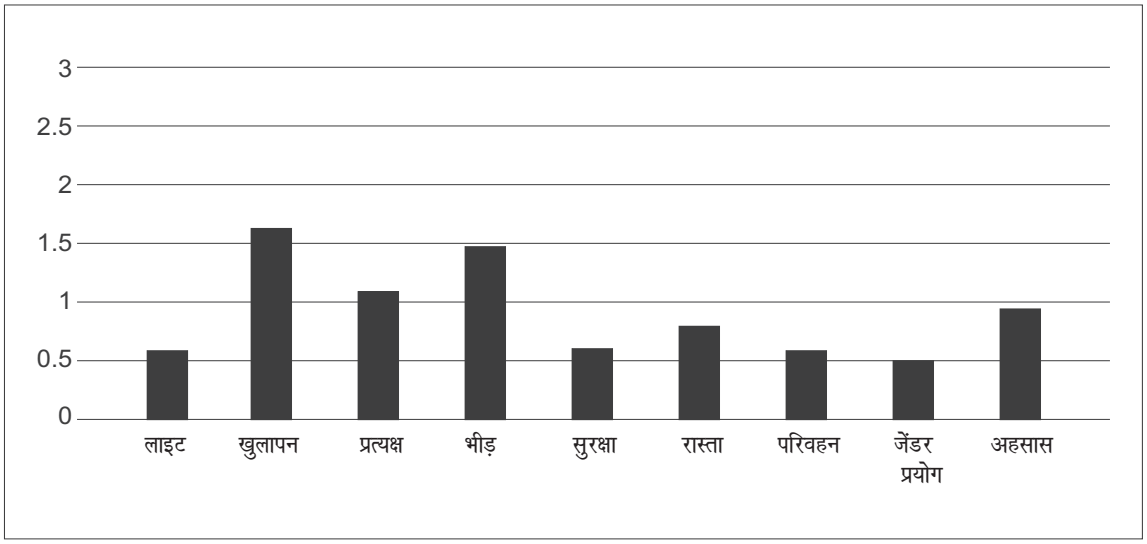

ग्राफ 7 : हजारीबाग में सुरक्षा मानकों का औसत स्कोर

ग्राफ 7 ऊपर में दिखाया गया है कि हजारीबाग के स्कोर खुलेपन के अलावा ज़्यादातर सुरक्षा मानकों के मामले में औसत से काफ़ी नीचे हैं। सार्वजनिक स्थानों का महिलाओं द्वारा प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन, स्ट्रीट लाइटिंग, सुरक्षा बंदोबस्त और फुटपाथ आदि की स्थिति बिलकुल संतोषजनक नहीं है। फलस्वरूप, आश्चर्य की बात नहीं है कि यहां लोगों में सुरक्षा का अहसास भी काफ़ी कमज़ोर है।

मानचित्र 5 : हजारीबाग में सेफ्टी आडिट मानकों की दर्शायीगई स्थिति

हजारीबाग के पांच इलाकों में जेंडर विविधता, दिखायी पड़ रही (सार्वजनिक और निजी) सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग तथा सार्वजनिक परिवहन मानचित्र 5 की उपलब्धता के लिहाज से नीचे दिये गए (ग्राफ 8) से कुछ महत्वपूर्ण नतीजे सामने आते हैं।

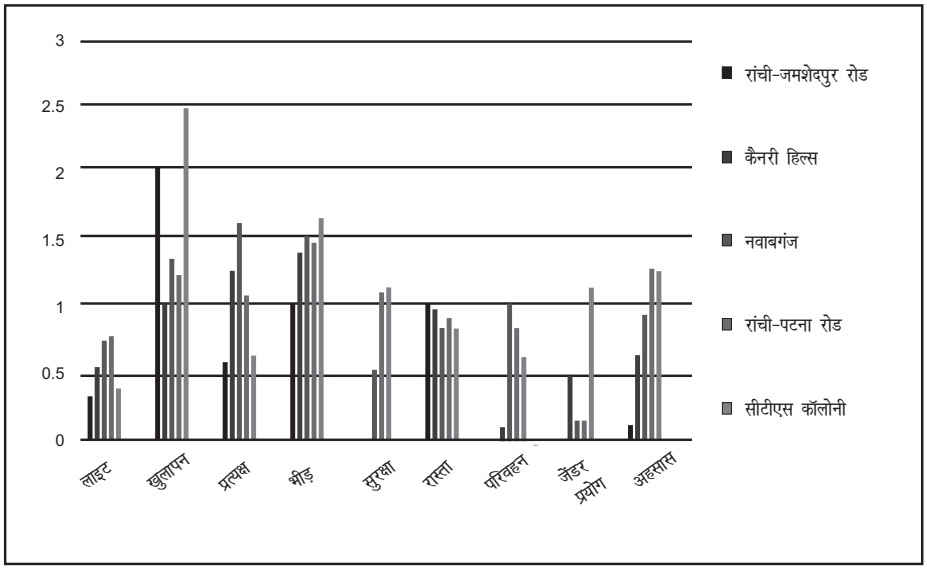

ग्राफ 8 : हजारीबाग के पांच स्थानों पर सुरक्षा मानकों का औसत स्कोर

ग्राफ 8 सेफ्टी ऑडिट के नतीजों की पुष्टि करता है। चुने गए पांचों इलाकों में फुटपाथ, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं द्वारा प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन और लाइटिंग, इन सभी कारकों की स्थिति काफ़ी दयनीय दिखायी देती है। गौर करने की बात है कि रांची–जमशेदपुर रोड पर न तो सुरक्षा बंदोबस्त या सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं और न ही यहां ज़्यादा महिलाएं दिखायी देती हैं। केनरी हिल्स पर भी सुरक्षा बंदोबस्त दिखायी नहीं दिये।

पांचों इलाकों में से रांची–जमशेदपुर रोड सबसे असुरक्षित दिखायी पड़ती है। इसके बाद केनरी हिल्स और नवाबगंज का स्थान आता है। हजारीबाग में जिन इलाकों का ऑडिट किया गया उनमें सीटीएस कालोनी सबसे सुरक्षित दिखायी दी।

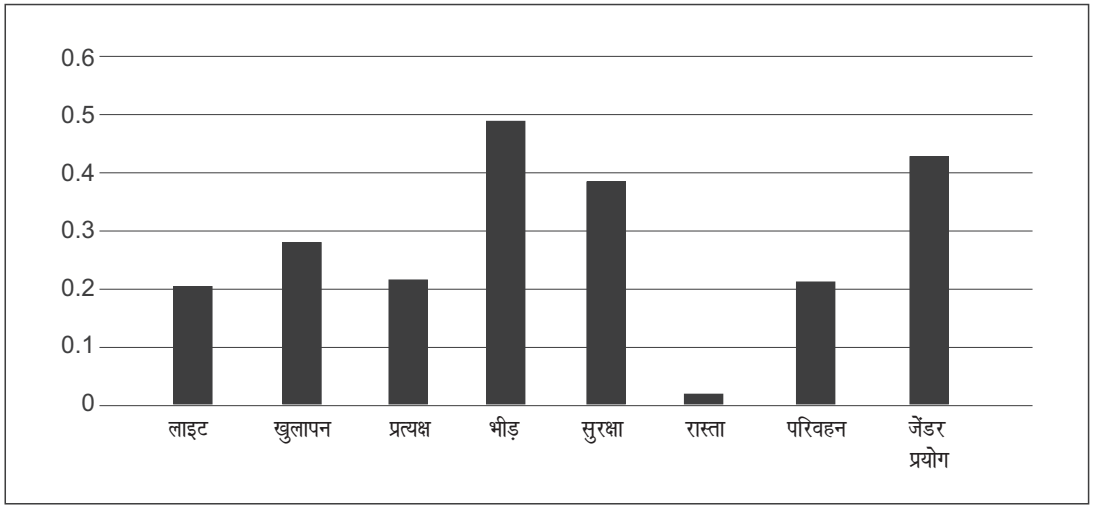

ग्राफ 9 : सेफ्टी ऑडिट मानकों का सुरक्षा के अहसास के साथ मिलान

जैसा कि ग्राफ 9 में दिखाया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों (ख़ासतौर से महिलाओं) की उपस्थिति तथा दिखायी पड़ रहे सुरक्षाकर्मियों के होने से सुरक्षा के अहसास पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसके बाद खुलेपन और सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता से लोगों में सुरक्षा का विश्वास पैदा होता है। रांची की तरह यहां भी फुटपाथों की स्थिति से सुरक्षा के अहसास पर बहुत कम असर पड़ता दिखायी दिया।

e[; fu"d"k

tulkf[;dh ,o ioklu

- 70 प्रतिशत से ज़्यादा उत्तरदाताओं की मासिक आय 10,000 रुपये से कम है।
- अविवाहित पुरुषों की संख्या (सभी आयु वर्गों में) अविवाहित महिलाओं से ज़्यादा है जो इस बात का संकेत है कि यहां लड़कियों की शादी संभवतः जल्दी कर दी जाती है।
- ज़्यादा उम्र की महिलाओं के मुकाबले युवा महिलाएं ज़्यादा शिक्षित हैं; ज़्यादातर महिला उत्तरदाता गृहिणी और छात्राएं हैं।
- रोजगार अवसरों की तलाश में आने वाली महिलाओं की संख्या हजारीबाग के मुकाबले रांची में ज़्यादा दिखायी देती है।
- ज़्यादातर प्रवासी 25–44 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष हैं।

xfr'khyrk@vkokxeu

- 18–24 वर्ष आयु वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा गतिशील दिखायी देते हैं; उनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी हैं।
- लगभग एक तिहाई उत्तरदाता काम की वजह से आवागमन करते हैं।
- लगभग तीन चौथाई उत्तरदाता पैदल अपने काम पर जाती हैं; गैर–साझा ऑटो रिक्शा परिवहन का सबसे ज़्यादा प्रयुक्त साधन है।
- ज़्यादातर महिलाएं 30 मिनट से कम समय में अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाती हैं; दो तिहाई से अधिक महिलाएं दिन के उजाले में ही यात्रा करती हैं।

efgykvks ds mRihMu o lqj{kk ds fo"k; esa ykxksa dh jk; vkSj eq[; dkjd

- रांची में लगभग 48 प्रतिशत और हजारीबाग में लगभग 41 प्रतिशत महिला उत्तरदाता अपने शहर को असुरक्षित या बेहद असुरक्षित मानती हैं।
- अन्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों में यौन उत्पीड़न सबसे व्यापक दिखायी देता है।
- खराब लाइटिंग, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ और खुले स्थानों का खराब रखरखाव डर के मुख्य स्रोत हैं।
- शराब के व्यवसाय से जुड़े या शराब पीने वाले पुरुष और समाज विरोधी तत्व सबसे बड़ा खतरा दिखायी देते हैं।
- महिलाएं, ख़ासतौर से 18–24 वर्ष की महिलाएं सबसे ज़्यादा संवेदनशील स्थिति में दिखायी देती हैं।
- रांची में 15 प्रतिशत और हजारीबाग में 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिलाओं के पहनावे को समस्या का एक स्रोत बताया।

lkoZtfud LFkkuksa ij efgykvksa ds ;kSu mRihMu ds izR;{kn'khZ;ksa ¼iq#"kksa o efgykvksa½ }kjk fn;s x, fooj.k

- एक चौथाई से ज़्यादा उत्तरदाताओं ने पिछले एक साल के दौरान महिला विरोधी हिंसा की घटनाएं देखी हैं।
- 50 प्रतिशत से ज़्यादा उत्तरदाताओं ने दिन के समय मौखिक और विजुअल हिंसा की घटनाएं देखी हैं और लगभग 25 प्रतिशत ने शाम के समय या दिन ढलने के बाद इस तरह की घटनाएं देखी हैं।

- दोनों शहरों में मौखिक, विजुअल, शारीरिक हिंसा और पीछा करना (इसी क्रम में) सबसे आम समस्याएं दिखायी पड़ती हैं।
- ऐसे स्थान जहां यौन हिंसा देखी गयी :
  - * बाज़ार, मॉल तथा स्कूल/कॉलेज (हजारीबाग)
  - * बाज़ार/मॉल, ऑटो/बस स्टॉप तथा सार्वजनिक परिवहन साधन (रांची)
- रांची में 79 प्रतिशत ने बताया कि यौन हिंसा की सबसे ज़्यादा घटनाएं सड़कों पर घटती हैं; हजारीबाग में भी 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यही बताया।
- उत्तरदाताओं ने यौन हिंसा की जो घटनाएं देखी हैं उनमें से 70 प्रतिशत से ज़्यादा घटनाओं में अपराधी 17–30 वर्ष के पुरुष थे; यौन हिंसा की एक तिहाई से ज़्यादा घटनाओं में पुरुषों के समूह जिम्मेदार दिखायी दिये।
- लगभग एक चौथाई महिला प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप किया या प्रतिक्रिया दी जबकि आधी से ज़्यादा महिला उत्तरदाताओं को उनके परिवार वालों ने यौन हिंसा की स्थिति में कुछ न करने की हिदायत दी।
- शिकायत दर्ज कराने का स्तर बहुत कम था। पिछले एक साल के दौरान रांची में जिन 211 महिलाओं और 57 पुरुषों ने किसी सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के साथ हिंसा होते देखी थी उनमें से केवल 8 महिलाओं और 1 पुरुष ने ही इस बारे में पुलिस को सूचित किया। हजारीबाग में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की प्रत्यक्षदर्शी 167 महिलाओं और 23 पुरुषों में से केवल 5 महिलाओं और 1 पुरुष ने ही इस बारे में पुलिस को सूचित किया।
- रांची में आधी से अधिक और हजारीबाग में लगभग दो तिहाई महिला उत्तरदाताओं ने अपनी आंखों के सामने घटी यौन हिंसा की घटनाओं के बारे में अपने माता–पिता को भी बताया। उनमें से 60 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को परिवार से समर्थन/मार्गदर्शन मिला। लगभग एक चौथाई महिलाओं ने परिवार वालों से इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसे में उनके बाहर निकलने पर और पाबंदियां लगा दी जाएंगी।

lkoZtfud LFkkuksa ij ;kSu mRihM+u ds ckjs esa ljokbZolZ ds vuqHko

- मौखिक और विजुअल क़िस्म का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा होता है और ऐसी घटनाएं अधिकांशतः दिन में घटती हैं।
- बाज़ार, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल/कॉलेज तथा सड़कों के नुक्कड़ सबसे ज्यादा असुरक्षित दिखायी पड़ते हैं।
- यौन उत्पीड़न की सबसे ज़्यादा घटनाओं में 17–30 वर्ष के लड़कों–पुरुषों का हाथ होता है; 30–45 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष भी इस तरह के अपराधों में संलग्न पाए गए हैं।
- रांची में लगभग आधी और हजारीबाग में 70 प्रतिशत सरवाईवर–उत्तरदाताओं ने "घटना को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ नहीं किया।"
- रांची और हजारीबाग में केवल 1–1 सरवाईवर ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करायी।
- यौन हिंसा की सरवाईवर्स पुलिस के पास क्यों नहीं जातीं, इसकी वजहें –
  - * मामला ज़्यादा गंभीर नहीं था (लगभग दो तिहाई सरवाईवर्स ने बताया)
  - * मामला वहीं रफा–दफा कर दिया गया (रांची में 12 प्रतिशत और हजारीबाग में 18 प्रतिशत ने बताया)
  - * पुलिस के बारे में नकारात्मक धारणाएं (रांची में 22 प्रतिशत और हजारीबाग में 18 प्रतिशत ने बताया)

- 60 प्रतिशत सरवाइवर्स ने अपने साथ हुई घटना के बारे में परिवार वालों को बताया; उनमें से लगभग 60 प्रतिशत परिवारों से उन्हें मदद/मार्गदर्शन मिला।
- रांची में 27 प्रतिशत और हजारीबाग में 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने साथ हुई यौन हिंसा के बारे में अपने माता–पिता को नहीं बताया क्योंकि इससे उन्हें अपनी आवाजाही पर पाबंदी लगने का डर था। रांची में 13 प्रतिशत और हजारीबाग में 5 प्रतिशत मां–बाप ने ऐसी घटनाओं के बाद अपनी बेटियों के आवागवन पर पाबंदियां लगा दी थीं।

l l kèkuk] dkuuk o uhfr ;k d ckj e tkudkjh

- दोनों ही शहरों में लगभग सभी पुरुष (95–100 प्रतिशत) जानते थे कि यौन हमला अथवा बलात्कार, हिंसक शारीरिक हमला और छूना, भींचना/दबाना आदि यौन हिंसाएं भी कानून के तहत एक अपराध हैं। इस बारे में महिला उत्तरदाताओं की जानकारियों का स्तर काफ़ी कम था : रांची में 66 प्रतिशत और हजारीबाग में 79 प्रतिशत महिलाएं ही यह जानती हैं कि मौखिक उत्पीड़न भी एक अपराध है।
- रांची में 86 प्रतिशत और हजारीबाग में 97 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे यह जानती हैं कि यौन उत्पीड़न/हिंसा की स्थिति में वे पुलिस से मदद ले सकती हैं; इसके बाद महिला थानों और हेल्पलाइन का क्रम था।
- इन संसाधनों तक पहुंच (हजारीबाग के मुकाबले) रांची में ज़्यादा उत्तरदाताओं के पास थी।
- रांची में 268 और हजारीबाग में 135 महिलाओं ने दावा किया कि वे हेल्पलाइन के बारे में जानती हैं मगर रांची में 7 और हजारीबाग में 5 महिलाओं को ही हेल्पलाइन नंबर मालूम था।
- दोनों शहरों में कुछ महिलाओं ने यौन हिंसा की स्थिति में ऐसे कुछ एनजीओ/सीबीओ (समुदाय आधारित संगठनों) का नाम बताया जिनसे मदद ली जा सकती है।
- रांची व हजारीबाग में ज़्यादातर महिला और पुरुष इस बात पर सहमत थे कि यौन हिंसा की घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए।
- ज़्यादातर पुरुषों का मानना था कि यौन उत्पीड़न/हिंसा को खत्म करना समुदाय और सरकार की ज़िम्मेदारी है; रांची में 35 प्रतिशत और हजारीबाग में 29 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि इसके लिए औरतें ही ज़िम्मेदार हैं।
- रांची में लगभग दो तिहाई उत्तरदाओं को लगता था कि सरकार यौन उत्पीड़न/हिंसा की समस्या को रोकने के लिए कुछ ख़ास नहीं कर रही है। हजारीबाग में 28 प्रतिशत महिलाओं और 41 प्रतिशत पुरुषों का यही मानना था।

e[; flQkfj’kas

झारखंड में विभिन्न वर्गों व पृष्ठभूमियों के बहुत सारे नागरिकों तक पहुंचने के लिए इस शोध अध्ययन में चार डेटा संग्रह पद्धतियों का प्रयोग किया गया और फलस्वरूप इस अध्ययन से सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न तथा महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा हुई हैं। इन जानकारियों से इन मुद्दों पर नागरिकों की सोच और उपलब्ध सेवाओं व बुनियादी ढांचे में दिखायी पड़ने वाली कमियों व ख़ामियों का पता चलता है। इस अध्ययन से झारखंड की जो तस्वीर उभरती है उसमें सार्वजनिक परिवहन, दिखायी पड़ने वाली (सार्वजनिक व निजी) सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग और पुलिस की मौजूदगी के लिहाज़ से सुरक्षा के कई मुद्दे सामने आते हैं। राज्य में बहुत सारे सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल केवल पुरुषों तक ही सीमित है जिसकी वजह से वे महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित बन जाते हैं और अगर महिलाओं व लड़कियों को उनका इस्तेमाल करना पड़ता है तो उनमें बेचैनी/डर का अहसास पैदा होता है।

अध्ययन के नतीजों का एक मुख्य आयाम ये था कि इस तरह की हिंसा को लगभग सामान्य मान लिया गया है : लोगों में यह अहसास घर कर गया है कि औरतों के साथ होने वाला यौन उत्पीड़न/हिंसा तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते और लिहाज़ा इसको बर्दाश्त किया ही जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, इसे सामान्य बात मानने की सोच कुछ महिलाओं व लड़कियों के दिमाग में भी घर कर चुकी है और उन्होंने अपने साथ सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली हिंसा को स्थानीय संस्कृति का हिस्सा मान लिया है। जैसा कि इस अध्ययन से उजागर होता है, उत्पीड़न या हिंसा के खिलाफ़ अपनी आवाज़ न उठाने, इस बारे में घरवालों को न बताने या पुलिस के पास शिकायत न करने के उनके फैसले इसी बात को दर्शाते हैं कि उन्होंने इस स्थिति को काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया है।

इस अध्ययन से विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए कुछ ठोस सुझाव इकटठ्ा करने में भी मदद मिली है। नीचे दी गयी सिफारिशें इन चारों शोध पद्धतियों से निकले निष्कर्षों व नतीजों पर आधारित हैं।

- **lkoZtfud LFkkuksa dh cukoV vkSj uxj fu;kstu**

सार्वजनिक सुरक्षा की दिशा में बुनियादी कदम शहरी नियोजन और रूपरेखा तय करने के समय उठाये जाते हैं। इस चरण में सार्वजनिक स्थानों की रूपरेखा और योजना बनाते हुए महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों यानि सभी की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

रांची के मामले में कुछ स्पष्ट सिफारिशें सामने आयी हैं। सेफ्टी ऑडिट से पता चलता है कि शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां महिला ऑडिटर्स को पहुंचने या यहां–वहां जाने में भी परेशानी महसूस हुई। इसका मतलब यह है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से पहुंचा जा सके, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। गुलाबी (पिंक) ऑटो रिक्शा एक रचनात्मक योजना है मगर इन ऑटो रिक्शाओं को चलाने वाली महिला ड्राइवरों को पार्किंग की जगह ढूंढने में ख़ासी मशक्कत करनी पड़ती है। उनके लिए शौचालयों का न होना भी एक समस्या है। गुलाबी ऑटो रिक्शाओं के लिए निश्चित पार्किंग स्थलों और वहां पर शौचालयों का बंदोबस्त करने से इन महिला ड्राइवरों और उनकी सवारियों को आसानी हो सकती है। कुछ उत्तरदाताओं ने थोड़े–थोड़े फ़ासले पर सुलभ शौचालयों के लिए जगह आवंटित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, यह भी सुझाव दिया गया कि अगर सड़कें चौड़ी हों और/या मौजूदा सड़कों को चौड़ा किया जाए तो यातायात को ज़्यादा अच्छी तरह संभाला जा सकता है। मगर, इससे फेरीवालों के लिए उपलब्ध जगह कम हो जाएगी जबकि वे इस तरह की वारदातों पर नज़र रखने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। एक और सिफारिश यह थी कि बहुत सारे स्थानों पर पुलिस नाके/चेकपोस्ट कायम किये जाएं।

- **'kgjh cqfu;knh <kaps dh miyC/krk vkSj ica/ku**

अगर सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना पहला कदम है तो उनका रखरखाव भी एक जरूरी दूसरा कदम बनता है। ऑडिट से पता चला कि शहर में उपलब्ध सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में जो ख़ामियां पैदा हो रही हैं वे उत्तरदाताओं के भीतर सुरक्षा के अहसास को कितने गहरे स्तर पर प्रभावित करती हैं।

ये सिफारिशें शहरी बुनियादी ढांचे में इन्हीं कमियों और ख़ामियों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, रांची और हजारीबाग की कुछ बस्तियों में स्ट्रीट लाइट्स के खम्भे तो लगे हैं मगर उन पर बत्तियां नहीं जलतीं। बहुत सारे/सारी उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी नज़र में महिला विरोधी अपराधों और सुरक्षा के अहसास पर सड़कों, नुक्कड़ों और रास्तों पर अंधेरे से काफ़ी असर पड़ता है। आमतौर पर अंधेरे स्थानों पर पुरुष ही ज़्यादा जमा होते हैं और इस वजह से महिलाएं व लड़कियां वहां नहीं जा पातीं। उत्तरदाताओं ने जो सुझाव दिये उनमें स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी गयी। सेक्स वर्कर्स, छात्राओं तथा वेतनभोगी रोज़गार करने वाली महिलाओं ने खस्ताहाल सार्वजनिक शौचालयों की समस्या भी गिनायी।

- lkotfud ifjogu vkj lcfekr lok,

इस बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं कि झारखंड में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था यौन उत्पीड़न का एक बड़ा गढ़ बन गयी है। बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं सार्वजनिक बसों और ऑटो रिक्शाओं (जिनमें साझा रिक्शा भी शामिल हैं) का ही इस्तेमाल करती हैं इसलिए इस सेवा की स्थिति में भारी सुधार की जरूरत है।

कुछ सार्वजनिक परिवहन साधनों की पहुंच भी फैलायी जानी चाहिए। शहर के कई भीतरी इलाके और आसपास के ज़्यादातर इलाके अभी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जहां मज़दूर वर्ग की महिलाओं या छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, उन इलाकों को बस मार्गों से जोड़ा जाना चाहिए । एक सुझाव यह भी आया कि जो ग्रामीण महिलाएं काम के लिए रोज़ाना खुली ट्रॉलियों में बैठ कर शहर आती हैं उनकी यातायात संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कंटाटोली चौक, लालपुर चौक या पिस्का के आसपास से रोज़गार एजेंट इन महिलाओं को काम के लिए ले जाते हैं। हजारीबाग की रांची–जमशेदपुर सड़क पर सार्वजनिक परिवहन लगभग नहीं था। रांची में भी कांके जैसे कुछ इलाके हैं जहां सार्वजनिक सेवा उपलब्ध नहीं है। कांके में सेफ्टी मानकों की स्थिति आमतौर पर काफ़ी खराब पायी गयी। विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक परिवहन साधनों की उपलब्धता के साथ–साथ यहां इन सेवाओं को भी और व्यवस्थित व नियमित रूप दिया जाना चाहिए।

बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और ऑटो ड्राइवरों को जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण देने और उनके व्यवहार पर लगातार नज़र रखे जाने की तुरंत आवश्यकता है। ड्राइवरों और कंडक्टरों को काम पर रखने या उनको लाइसेंस देने से पहले उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए, ड्राइवरों व कंडक्टरों की जवाबदेही तय करने के लिए एक लिखित आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए, प्रत्येक सार्वजनिक बस में एक महिला कंडक्टर होनी चाहिए, बसों में हेल्पलाइन नंबर लिखे जाने चाहिए और महिला ऑटो ड्राइवरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए – ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं।

- ifyl cnkcLr

आम धारणा यही है कि संकट की स्थिति में सबसे पहले पुलिस से ही मदद ली जानी चाहिए मगर झारखंड में महिलाएं और लड़कियां पुलिस से संपर्क करने में कतराती दिखायी देती हैं। झारखंड के पुलिस विभाग, जिसमें महिला पुलिस कर्मी भी शामिल हैं, को राज्य की महिला नागरिकों का भरोसा व विश्वास जीतना होगा। जब तक पुलिसकर्मियों को पितृसत्ता और उसके प्रत्यक्ष व परोक्ष पहलुओं के बारे में तथा एकल महिलाओं जैसे ख़ास समूहों पर ध्यान देने की जरूरत के प्रति संवेदनशलील नहीं बनाया जाएगा तब तक पुलिस संभवतः महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न व हिंसा को कारगर ढंग से संबोधित नहीं कर पाएगी। हिंसा की सर्वाईवर्स के पास सबसे पहले आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस ही पहुंचती है इसलिए इन पुलिस कर्मियों को ख़ासतौर से जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।

ऐसे सभी प्रशिक्षणों में आपराधिक कानून में किये गए नवीनतम संशोधनों का भी समावेश किया जाना चाहिए। बेहतर पुलिस बंदोबस्त, पुलिस कर्मियों, ख़ासतौर से बीट कॉन्स्टेबल और महिला कर्मियों की संख्या में इजाफे, बस स्टाप व ऑटो स्टैंड जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा गश्त आदि के बारे में भी सुझाव दिये गए। पुलिस कर्मियों को यौन कर्मियों के बारे में अपने रवैये पर भी फिर से गौर करना चाहिए क्योंकि यह महिलाओं व लड़कियों का सबसे हाशियाई समूह है। एफजीडी चर्चाओं के दौरान यौन कर्मियों ने

कहा कि महिला थानों और पीसीआर वैनों की नियमित गश्त के माध्यम से पुलिस के साथ और ज़्यादा अच्छे तालमेल के साथ काम करना जरूरी है।

डेटा से पता चलता है कि जिन इलाकों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और जहां काफ़ी चहल–पहल रहती है वहां भी सुरक्षा की स्थिति खस्ता है। दिखायी पड़ने वाली सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं में भरोसा पैदा करती है, ख़ासतौर से ऐसी असंख्य महिलाओं में जो कि काम से पैदल घर लौटती हैं, जैसे प्रवासी महिला मज़दूर और घरेलू महिला कामगार आदि।

केवल जिला मुख्यालय में ही नहीं बल्कि गांवों और ब्लाक के स्तर पर भी महिला थानों की स्थापना से निश्चय ही महिलाओं को ज़्यादा तेजी से मदद पहुंचायी जा सकती है। उदाहरण के लिए, ओरमांझी में स्थित महिला थाना अपने आसपास के इलाकों की महिलाओं को भी मदद दे सकता है। महिला थानों के बारे में एक सुझाव यह था कि उनके लिए और ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाए, दौरों के लिए एक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाए (बुंदू व तमार जैसे इलाकों के लिए) और ख़ास स्थितियों में सिविल वाहनों सहित ज़्यादा गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाए।

- efgykvksa ds fy, vkokl

जैसा कि पारिवारिक सर्वेक्षण और एफजीडी चर्चाओं में सामने आया, रोजगार या शिक्षा के लिए इन दोनों शहरों में आने वाली युवतियों की एक बड़ी संख्या को महिला छात्रावास जैसे सुरक्षित आवासों की आवश्यकता है। इस मद में उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि महिलाओं के लॉज व छात्रावासों के आसपास चौबीसों घंटे चलने वाली हेल्पलाइन के नंबर सार्वजनिक रूप से और बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। साथ ही, इस तरह के लॉज व छात्रावासों के आसपास पुलिस चेक पोस्ट बनायी जानी चाहिए।

- ihfM+rksa ds fy, enn] dkuwu vkSj blkQ

यौन हिंसा की सर्वाइवर्स को भावनात्मक काउंसलिंग से लेकर सामाजिक, क़ानूनी और आर्थिक मदद तक कई तरह की सहायता की जरूरत होती है। ये सहायता सेवाएं उनके लिए हर वक्त उपलब्ध होनी चाहिए। झारखंड में ऐसी कुछ सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। ये सेवाएं डीएसपी कार्यालय में स्थित महिला कोशांग, राज्य महिला आयोग, राज्य एवं जिला विधि सहायता सोसायटियों (डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सोसायटीज़) तथा महिला हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं। इस अध्ययन के दौरान इकट्ठी की गई प्रतिक्रिया के आधार पर क़ानूनी और अर्धक़ानूनी सेवाओं की स्थिति में फौरन सुधार की आवाश्यकता है। इनको चलाने वाले कर्मचारियों के पास न केवल नवीनतम क़ानूनी संशोधनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उन्हें जेंडर से जुड़े मुद्दों, क़ानूनी उपायों व नियमों के बारे में भी समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि इन संगठनों के नतीजों में सुधार आए। एक सुझाव यह था कि अगर सरकारी विभागों व निजी संस्थानों में यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों का गठन किया जाता है तो महिला सामाख्या इस व्यवस्था में तीसरे पक्ष की भूमिका के रूप में मदद दे सकता है।

- f'k{kk

जेंडर के बारे में हमारी सोच और तौर–तरीके तथा लड़कों व लड़कियों के बारे में क्या सही है और क्या गलत है, ये भावनाएं हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी ही जड़ें जमा लेती हैं इसलिए इन से छुटकारा पाने और एक रूपांतरकारी कार्रवाई की दिशा में बढ़ने की चेष्टाएं भी जल्दी से जल्दी शुरू की जानी चाहिए। पाठ्यचर्या में यौन उत्पीड़न और हिंसा के ख़िलाफ अध्यायों का समावेश करना एक बढ़िया शुरुआती प्रयास हो सकता है मगर यह पर्याप्त प्रयास नहीं है। इन पाठों व अध्यायों के साथ साथ जेंडर की अवधारणा और पितृसत्ता के बारे में समझदारी विकसित करने पर केंद्रित सत्रों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी खुद अपनी ज़िंदगियों में भी जेंडर की उपस्थिति और भूमिका को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे/पाएंगी। स्कूलों और कॉलेजों में छात्र–छात्राओं के लिए तथा अध्यापकों के लिए महिला सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए।

जैसा कि इस शोध से जाहिर होता है, बहुत सारी छात्राओं ने बताया कि यौन हिंसा की वारदातों में इजाफ़े के फलस्वरूप उनकी आज़ादी और आवाजाही पर पहले से ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गयी हैं और उन पर ज़्यादा पहरा रखा जाने लगा है। ऐसी व्यापक चर्चाओं में औरतों की 'इज्जत' और बदनामी/कलंक जैसी धारणाओं पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। अध्यापकों और अभिभावकों/माता–पिता को भी महिलाओं की आज़ादी और अपराधों के बीच सही विकल्प चुनने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। छात्र–छात्राओं, अभिभावकों और अध्यापकों को लेकर स्कूलों में यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों का गठन इस अध्ययन की एक और मुख्य सिफ़ारिश थी।

- lpuk ik|kfxdh

पिछले सालों के दौरान जो तकनीकी बदलाव आए हैं और जिन्होंने हमारे जीवन को पहले से ज़्यादा सरल और तीव्र कर दिया है, उनसे सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति पर भी भारी असर पड़ा है। ख़ासतौर से अब सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति को मापना पहले से आसान और तेज हो गया है, इसके लिए अपनायी गयी प्रक्रियाएं ज़्यादा सटीक, परिष्कृत, पारदर्शी और ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। अब मोबाइल फोन आधारित ऐसे आपातकालिक ऐप उपलब्ध हैं जिनके जरिए महिलाएं मदद के लिए फौरन संदेश भेज सकती हैं। ऐसे स्मार्ट फोन भी मौजूद हैं जो शहरों के व्यापक सेफ्टी ऑडिट में मदद दे सकते हैं। सरकारी विभागों को सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित अपने दैनिक कामों में ऐसे सभी साधनों को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, इनकी मदद से वे खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, सार्वजनिक सेवाओं के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया ले सकते हैं। रांची और हजारीबाग में सेफ्टी पिन ऐप का प्रयोग करते हुए एक शहरव्यापी ऑडिट किया गया है। सेफ्टी पिन एक मोबाइल फोन आधारित सेफ्टी ऑडिट ऐप है जिसका नागरिक समूहों, स्थानीय शासकीय निकायों, निजी कंपनियों और पुलिस विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि हजारीबाग की स्थिति ज़्यादातर सुरक्षा मानकों के मामले में प्रायः औसत से नीचे पायी गयी है इसलिए शहर की सभी बस्तियों में इस ऐप की मदद से एक विस्तृत सेफ्टी ऑडिट करके मुख्य समस्याओं को पहचाना जा सकता है।

- tutkxfr vkj lonhdj.k

सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की रचना और रखरखाव का सबसे प्रभावी तरीका ये है कि जनता में जागरूकता पैदा की जाए। महिलाओं व लड़कियों का जिस तरह बड़े पैमाने पर वस्तुकरण किया जा रहा है और जिस तरह उन्हें यौन उपभोग की साधन के रूप में पेश किया जा रहा है, उनके साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, उसको देखते हुए समाज की सोच में एक बुनियादी बदलाव ही किसी ठोस और दीर्घकालिक बदलाव का आश्वासन दे सकता है। मिसाल के तौर पर, कुछ महिलाओं और ज़्यादातर पुरुषों ने औरतों के कपड़ों, मेकअप, चाल–ढाल और/या शारीरिक मुद्राओं आदि का हवाला देते हुए औरतों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और हिंसा को सही ठहराने का भी प्रयास किया। बहुत सारी उत्तरदाताओं का कहना था कि मर्दों की जवाबी कार्रवाई के डर से वे यौन उत्पीड़न को चुपचाप बर्दाश्त कर जाती हैं। गुलाबी ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को पुरुष ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। वे उनका खुलकर मज़ाक उड़ाते हैं। इससे पता चलता है कि महिलाओं की पहचान और स्वायत्तता के बारे में हमारी समझदारी में कितना गहरा सामाजिक–सांस्कृतिक बदलाव जरूरी है। इसके लिए सिर्फ़ लड़कों और पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कियों व महिलाओं के लिए भी नियमित सार्वजनिक अभियान चलाए जाने चाहिए। उनमें बूढ़ों और जवानों, आम जनता और सत्ता के पदों पर बैठे सभी प्रकार के स्त्री–पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए। ये अभियान और सत्र केवल महिला सुरक्षा की चिंताओं तक ही सीमित नहीं होने चाहिए; उनमें मानवाधिकारों और क़ानूनों के बारे में भी जानकारियां दी जानी चाहिए। संवेदीकरण के प्रति एक व्यापक रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं के मूक दर्शकों को भी संबोधित किया जा सके और सामुदायिक हस्तक्षेप या उसके अभाव पर, परिवार की भूमिका, सहायता सेवाओं, मर्दानगी व स्त्रीत्व की धारणाओं के बारे में जागरूकता आदि पर चिंतन व समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि आम जनता के लिए नियमित रूप से संवेदीकरण/जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, महिला विरोधी हिंसा के ख़िलाफ़ बड़े–बड़े चित्रात्मक संदेशों का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए और बच्चों की कॉपियों के मुखपृष्ठ पर यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ संदेश छापे जाने चाहिए।

lyXud 1

जुलाई–अगस्त 2015 में झारखंड में आयोजित विषय केंद्रित सामूहिक चर्चाएं (फोकस ग्रुप डिस्कशन्स)				
क्रम संख्या	**एफ जीडी निर्वाचन क्षेत्र**	**तारीख**	**अनुदेशक**	**सहभागी संस्थाएं**
		रांची		
1.	कॉलेज जाने वाली लड़कियां–रांची	27 जुलाई	पूजा	सृजन फाउंडेशन/रांची विश्वविद्यालय के छात्र
2.	युवा लड़के–रांची	30 जुलाई	राजीव	सृजन फाउंडेशन/एक्स आई एस एस और रांची विश्वविद्यालय के छात्र
3.	एकल महिला–रांची	5 अगस्त	कल्याणी मीना	ई एन एस एस
4.	निर्माण मज़दूर और दिहाड़ी मज़दूर अर्जक	29 जुलाई	कल्याणी मीना	महिला आवास सेवा ट्रस्ट
5.	घरेलू मज़दूर–रांची	1 अगस्त	कल्याणी मीना	प्रेरणा भारती
6.	महिला यौनकर्मी–रांची	29 जुलाई	पूजा	सृजन फाउंडेशन
7.	नारी अदालत	1 अगस्त	पूजा	सृजन फाउंडेशन, महिला सामाख्या
		हजारीबाग		
1.	निर्माण मज़दूर–हजारीबाग	2 अगस्त	कल्याणी मीना	महिला मुक्ति संस्थान
2.	एकल महिला–हजारीबाग	4 अगस्त	कल्याणी मीना	ई एन एस एस
3.	किशोर लड़के–हजारीबाग	3 अगस्त	राजीव	सृजन फाउंडेशन
4.	किशोरी लड़कियां–हजारीबाग	3 अगस्त	पूजा	सृजन फाउंडेशन

lyXud 2

tkxkjh			
e[; lpuknkrkvk d lk{kkRdkj			
Øe l[;k	Ukke	in	Lkk{kkRdkj dh rkjh[k
1.	डा0 बिन्नी आजाद	राज्य संयोजक, एकल नारी सशक्ति संगठन	21.09.2015
2.	गुड़िया	गुलाबी ऑटो रिक्शा ड्राइवर	21.09.2015
3.	संजय श्रीवास्तव	राज्य संयोजक, चाइल्ड लाइन एंडवी मेन्स हेल्पलाइन एंडलेक्चरर, ज़ेवियर इंस्टीच्यूट ऑफसोशल साइंसिस (एक्स आई एस एस) रांची	21.09.2015
4.	विद्यावती	सिटी संयोजक, वीमेन्स हेल्पलाइन, रांची	21.09.2015
5.	महुआ माझी	अध्यक्ष, झारखंड महिला आयोग	22.09.2015
6.	राजश्री वर्मा	लेक्चरर, एक्स आई एस एस एंड प्लेसमेंट कोर्डिनेटर	22.09.2015
7.	रोज़ेलिया	महिला कोशांग सदस्य	22.09.2015
8.	आरती बेहरा	संयोजक, ग्रीनवीमेन ऑटो	23.09.2015
9.	अपराजिता मिश्रा	राज्य अध्यक्ष, मैत्री एन जीओ	23.09.2015
10.	बेलमदनापूर्ति	फेडरेशन लीडर, प्रदान, खुंटी	24.09.2015
11.	दीपिका प्रसाद	एस एच ओ, महिला थाना	23.09.2015
12.	दिनेशसोनी	राज्य अध्यक्ष, डीजलऑटो यूनियन	23.09.2015
13.	किशोर के0 मंत्री	संयोजक, सिटी बस सर्विस	23.09.2015
14.	स्मिता गुप्ता	राज्य कार्यक्रम निदेशक, महिला सामाख्या	24.09.2015

l i .k y{;

झारंखड के दो शहरों–रांची व हजारीबाग की चुनिंदा जगहों में सुरक्षित शहरी सार्वजनिक स्थलों और सेवाओं की कल्पना को साकार करना, जहां हर उम्र और समुदाय की महिलाएं और लड़कियां यौन उत्पीड़न व यौनिक हिंसा के डर और खतरे के बिना पहुंच सकें और अपने समान नागरिक अधिकारों का लाभ उठा सकें।

ifj;k tuk@ik tDV y{;

स्थानीय भागीदारों के साथ विस्तृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोणों को बढ़ाने में सहयोग करना, ताकि झारखंड के चुने गए शहरी इलाकों के विभिन्न क्षेत्रों पर महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और यौनिक हिंसा को रोका जा सके और उसके खिलाफ़ प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।

okfNr ie[k ifj.kke

1. प्रमुख हितधारकों में इस वचनबद्धता को बढ़ाने के लिए काम करना कि वे महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अपने प्रयासों में जेंडर समानता उपायों ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करेंगे

2. जेंडर समेकित उपायों और सेवाओं के बारे में चुनिंदा महिला समूहों तथा नागरिक समाज के भागीदारों की क्षमताओं को बढ़ाना ताकि महिला सुरक्षा को संबोधित किया जा सके और उनके समुदायों तक पहुंचा जा सके

3. महिला सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता और शिक्षण बढ़ाने के लिए रचनात्मक प्रक्रियाएं शुरू करना

j.kuhfrd@lkefjd :ij[kk

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा तैयार की गई जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थे

1. जेंडर संवेदनशील भौतिक संरचनाओं/बुनियादी सुविधाओं (जैसे, शहरी नियोजन और डिज़ाइन, बुनियादी सेवाओं के प्रावधान, परिवहन) के लिए पैरवी करना

2. महिलाओं व लड़कियों के लिए बेहतर सेवाएं (जैसे उत्तरदायी व सक्रिय पुलिस सेवा, काउंसलिंग व अन्य सहायक सेवाओं, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स सहित)

3. महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा को सामान्य मान लेने वाली मानसिकता और व्यवहारों को बदलने के लिए जागरूकता फैलाना

Hkkxhnkj

'kk/k Hkkxhnkj

यह संयुक्त अध्ययन ओक फ़ाउंडेशन के सहयोग से जागोरी, न्यु कॉन्सेप्ट इन्फ़ॉरमेशन सिस्टम्स व सेफ़्टी पिन द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एण्ड डेवलपमेंट पॉलिसी (आईटीडीपी), सृजन फाउंडेशन, प्रेरणा भारती, एकल नारी सशक्ति संगठन (ईएनएसएस), महिला मुक्ति संस्थान, प्रदान, ब्रेकथ्रू, महिला सामाख्या, महिला अदालत की प्रतिनिधि, घरेलू कामगारों व महिला यौन कर्मी समूह की सहभागिता से किया गया है।

dk;Øe Hkkxhnkj

असोसिएशन फ़ॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशियेटिव्स, सेंटर फ़ॉर हैल्थ एंड सोशल जस्टिस, एकल नारी शक्ति संगठन, इंस्टीट्यूट फ़ॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डवलपमेंट, महिला समाख्या व सृजन फ़ाउंडेशन

tkxkjh

जागोरी महिलाओं का एक संदर्भ, प्रशिक्षण एवं डॉक्युमेंटेशन केंद्र है, और यह एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की सामूहिक प्रक्रिया में सहयोग देने की सोच द्वारा निर्देशित है। जागोरी का उद्देश्य बड़े पैमाने पर भागीदारों और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के हाशियाबद्ध महिला नेतृत्वों के साथ मिलकर महिला अधिकारों के समर्थन में नारीवादी सोच को और गहराई से फैलाना है। जागोरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप हमारी वेबसाइट www.jagori.org, www.safedelhi.in पर संपर्क कर सकते हैं।

tkxkjh fnYyh dk;kZy;

बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 फ़ोनः + 92–11–26691219/20, टेलिफ़ेक्सः +92–11–26691221
जागोरी हैल्पलाइनः 92–11–26692700, 8800996640 ई–मेलः Jagori@jagori.org, वेबसाइटः www.jagori.org, www.safedelhi.in

tkxkjh >kj[kM dk;kZy;

C/O: शीलवंती सुरेन, प्रथम मंज़िल, चिशायर होम रोड, निकटः पूनम स्वीट हाऊस, शशि विहार, बरियातु, रांची– 834009, झारखंड
टेलिफ़ोनः 08800229555, ई–मेलः safecities.jharkhand@jagori.org